अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012

क्रमांक 3410 म.प्र.वि.नि.आ.–2012. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धारा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैः

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012{आर जी 26 (II), वर्ष 2012}

प्रस्तावना

जबकि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–26, वर्ष 2005) की प्रथम नियंत्रण अवधि का समापन 31 मार्च, 2009 को हुआ। आयोग ने द्वितीय बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि सिद्धांत तथा क्रियाविधियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक विनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में प्रथम पुनरीक्षण {आर जी–26(1), वर्ष 2009} दिनांक 30 अप्रैल, 2009 द्वारा दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया था। आयोग द्वारा द्वितीय संशोधन दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा इस नियंत्रण अवधि को माह मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया। अतएव आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, विद्युत उत्पादन की निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किये जाने हेतु ये विनियम अधिसूचित किये जा रहे हैं।

अध्याय – एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :

1.1 ये विनियम, ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आर जी 26 (II), वर्ष 2012} कहलायेंगे।

1.2 इन विनियमों का विस्तार पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

1.3 ये विनियम दिनांक 01.04.2013 से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि का विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से माह दिनांक 31.3.2016 तक लागू रहेंगे :

> परन्तु जहां कहीं एक परियोजना अथवा उसके किसी भाग को इन विनियमों के प्रवृत्त होने की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित कर दिया गया हो तथा जिसका टैरिफ उक्त तिथि तक आयोग द्वारा अन्तिम रुप से अवधारित नहीं किया गया हो, ऐसी परियोजना अथवा उसके किसी भाग के प्रकरण में, जैसा कि लागू हो, टैरिफ का अवधारण दिनांक 31.03.2013 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें), विनियम, 2009 एवं उनके संशोधनों के अनुसार ही अवधारित किया जाएगा।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

2.1 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अर्न्तगत किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के वितरण हेतु किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन या उसकी किसी इकाई के संबंध में (अपारम्परिक ऊर्जा आधारित स्त्रोतों को छोड़कर) उत्पादन टैरिफ अवधारण के समस्त प्रकरणों पर लागू होंगें परन्तु ऐसे प्रकरणों में लागू न होंगे जहां टैरिफ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया गया हो ।

3. प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ होना :

3.1 शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा उत्पादन कंपनी तथा उसके हितग्राहियों को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से प्रोन्नत मानदण्ड टैरिफ अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे ।

4. परिभाषाऐं :

4.1 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में –

(ए) ''अधिनियम (Act)'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''लेखांकन विवरण–पत्र (Accounting Statement)'' से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण–पत्र, अर्थातः

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I में अर्न्तविष्ट प्ररूप (फार्म) के अनुसार तैयार किया गया तुलन–पत्र (बैलेंस शीट); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायक विवरण–पत्रों तथा जानकारी के, जैसा कि वे आयोग द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जाएं;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II की अर्हताओं के परिपालन में लाभ–हानि लेखा;

(iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़–प्रवाह विवरण–पत्र (कैश–फ्लो स्टेटमेन्ट) (एएस–3) के लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्र;

(iv) अनुज्ञप्तिधारी के वैधानिक अंकेक्षक(ों) का प्रतिवेदन;

(v) संचालकों का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां; तथा

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये लागत अभिलेख, यदि कोई हों;

(सी) ''अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization)'' से अभिप्रेत है वास्तविक रुप से किया गया पूंजीगत व्यय अथवा जिसे परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है तथा आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त विनियम 20 के उपबन्धों के अध्यधीन स्वीकार किया गया है;

(डी) ''सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption-AUX)'' का किसी अवधि के संदर्भ में अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन स्टेशन के सहायक उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा एवं उत्पादक स्टेशन के अंतर्गत ट्रांसफार्मर हानियां तथा इसे उत्पादक स्टेशन की समस्त इकाईयों द्वारा उत्पादक स्टेशन के छोर (टर्मिनल) पर सकल उत्पादित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा;

(ई) ''अंकेक्षक (Auditor)'' से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1, वर्ष 1956) की धारा 224, 233बी तथा 619 के उपबंधों अथवा फिलहाल लागू अन्य किसी प्रभावशील कानून के अंतर्गत विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;

(एफ) ''हितग्राही (Beneficiary)'' का किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो ऐसे उत्पादक स्टेशन से उत्पादित विद्युत का क्रय कर रहा है तथा जिसका टैरिफ इन विनियमों के अन्तर्गत अवधारित किया जा रहा हों;

(जी) ''खण्ड (Block)'' जो संयुक्त चक्र (Combined cycle) ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन से संबंधित है जिसमें प्रज्जवलन टरबाइन विद्युत उत्पादन संयंत्र (Combustion Turbine Generators), सहयोगी अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति वाष्पयन्त्र (associated waste heat recovery boilers), संयोजित वाष्प टरबाईन–विद्युत उत्पादन संयंत्र (connected steam turbine generators) तथा सहायक इकाईयां (Auxiliaries) सम्मिलित हैं;

(एच) ''आयोग (Commission)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission);

(आई) ''कानून में परिवर्तन (Change in law)'' से अभिप्रेत है निम्न घटनाओं में से किसी भी एक घटना का पाया जाना :

(i) किसी भी कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना, इसका प्रवर्तित होना, संशोधित किया जाना, इसमें संपरिवर्तन किया जाना अथवा निरसन किया जाना; अथवा

(ii) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) अथवा भारत शासन का अनुदेश जो ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार है, द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(iii) किसी परियोजना हेतु, किसी सम्मति में, अनुमोदन में अथवा उपलब्ध कराई गई अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति में किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई परिवर्तन;

(जे) ''पृथक्कृत तिथि (Cut off date)'' से अभिप्रेत है, 31 मार्च की तिथि जो परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के दो वर्षों के उपरांत समाप्त होती है तथा ऐसे प्रकरण में, जहां परियोजना को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी वर्ष के अन्तिम त्रैमास में घोषित किया जाता है, वहां पृथक्कृत तिथि, वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के तीन वर्षों के बाद, उक्त वर्ष की 31 मार्च होगी;

(के) ''दिवस (Day)'' से अभिप्रेत है, 24 घंटों की निरंतर अवधि जो 00.00 बजे से प्रारंभ होती है;

(एल) ''वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (Date of Commercial Operation-COD)''

(i) किसी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन की एक इकाई अथवा खण्ड (Block) के संबंध में, उत्पादक कम्पनी द्वारा एक सफल निष्पादन परीक्षण द्वारा तथा हितग्राहियों को नोटिस दिये जाने के उपरान्त उच्चतम निरन्तर निर्धारित क्षमता (Maximum Continuous Rating - MCR) अथवा स्थापित क्षमता (Installed Capacity - IC) के प्रदर्शन उपरान्त घोषित तिथि जिससे पूर्ण रूप से म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार अनुसूचीकरण प्रक्रिया पूर्णतया 00.00 बजे से कार्यान्वित की जाएगी तथा पूर्णरूपेण एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में उत्पादक स्टेशन की अन्तिम इकाई अथवा खण्ड की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि होगी;

(ii) किसी जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन की इकाई के संबंध में, उत्पादक कम्पनी द्वारा हितग्राहियों को नोटिस दिये जाने के उपरान्त म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार अनुसूचीकरण प्रक्रिया के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन पश्चात् 00.00 बजे से घोषित तिथि, तथा पूर्णरूपेण एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में, उत्पादक कम्पनी द्वारा घोषित तिथि एक सफल निष्पादन परीक्षण द्वारा हितग्राहियों को नोटिस दिये जाने के उपरान्त उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित तिथि जो उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता से सम्बद्ध उच्चतम क्षमता के प्रदर्शन उपरान्त, होगी;

टीप :

1. यदि जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन जलाशय में अपर्याप्त जल की मात्रा अथवा जलाशय के स्तर के कारण स्थापित क्षमता से संबद्ध उच्चतम क्षमता प्रदर्शित करने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में उत्पादक स्टेशन की अन्तिम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि पूर्णरूपेण उत्पादक स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि इस प्रतिबंध के साथ मानी जाएगी कि ऐसे जल–विद्युत स्टेशन हेतु यह आदेशात्मक (mandatory) होगा कि

वह ऐसा जलाशय/तालाब स्तर प्राप्त हो जाने पर उत्पादक इकाई अथवा उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता से संबद्ध उच्चतम क्षमता का प्रदर्शन करे।

2. इसी प्रकार की शर्तें केवल नदी–बहाव आधारित जल विद्युत स्टेशन को लागू होंगी यदि इकाई अथवा उत्पादक स्टेशन को कम मात्रा वाली जल आवक अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित कर दिया जाता है जब जल की मात्रा ऐसे प्रदर्शन हेतु अपर्याप्त हो ।

(एम) ''घोषित क्षमता (Declared Capacity- DC)'' किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में अभिप्रेत है, ऐसे उत्पादक स्टेशन द्वारा दिवस के समय–खण्ड अथवा सम्पूर्ण दिवस हेतु एक्स–बस विद्युत प्रदाय करने की योग्यता जिसके अन्तर्गत ईंधन अथवा जल की उपलब्धता पर विचार किया जाएगा तथा यह और सुसंगत विनियम के अन्तर्गत आगे दर्शाई गई अर्हता के अध्यधीन होगी;

(एन) ''रुपांकित ऊर्जा (Design Energy)'' से अभिप्रेत है ऊर्जा की मात्रा जो 90 प्रतिशत निर्भरता वाले वर्ष में 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के आधार पर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा उत्पादित की जा सकती है;

(ओ) ''विद्यमान विद्युत उत्पादक परियोजना (Existing Generating Project)'' से अभिप्रेत है ऐसी परियोजना जिसे दिनांक 01.04.2012 से पूर्व किसी तिथि से वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो;

(पी) ''किया गया व्यय (Expenditure incurred)'' से अभिप्रेत है कोई निधि, भले वह पूंजी (Equity) अथवा ऋण (debt) दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिप्राप्ति हेतु, वास्तविक रुप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई राशि मुक्त न की गई हो;

(क्यू) ''विद्युत उत्पादक कंपनी (Generation Company)'' से अभिप्रेत है कोई कंपनी या निगम निकाय या संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो जो किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन का स्वामी हो या उसे प्रचालित कर रहा हो या उसका संधारण कर रहा हो;

(आर) ''उत्पादन टैरिफ (Generation Tariff)'' से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादक स्टेशन की एक्स–बस (Ex-bus) पर विद्युत आपूर्ति के लिये दर–निर्धारण (टैरिफ);

(एस) ''सकल ऊष्मीय मान (Gross Calorific Value - GCV)'' किसी ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशन के संबंध में अभिप्रेत है एक किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा एक लीटर तरल ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैस ईंधन, जैसा कि लागू हो, के सम्पूर्ण प्रज्जवलन द्वारा किलो कैलोरी (kCal) में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा;

(टी) ''सकल स्टेशन ऊष्मा दर (Gross Station Heat Rate - GHR)'' से अभिप्रेत है किसी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन में ऊष्मा शक्ति का किलो कैलोरी में निवेश जिसके द्वारा उसके उत्पादक छोरों पर एक किलोवॉट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो सके;

(यू) ''अस्थाई क्षमता (Infirm Power)'' से अभिप्रेत है किसी उत्पादक स्टेशन की इकाई अथवा खण्ड द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व ग्रिड में अन्तःक्षेप (inject) की गई विद्युत;

(वी) ''स्थापित क्षमता (Installed Capacity - IC)'' से अभिप्रेत है उत्पादक स्टेशन की समस्त इकाईयों की नामपटिट्का (Nameplate) पर दर्शाई गई क्षमताओं का योग अथवा उत्पादक स्टेशन की (उत्पादक छोर पर की गई गणनानुसार) क्षमता जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय–समय पर अनुमोदित किया जाए;

(डब्लू) ''अनुज्ञप्तिधारी (Licensee)'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अनुज्ञप्ति (License) प्रदान की गई हो;

(एक्स) ''उच्चतम निरंतर गुणवत्ता श्रेणी (Maximum Continuous Rating - MCR)" किसी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन की इकाई के संबंध में अभिप्रेत है ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन के किसी उत्पादक के छोरों पर उच्चतम निरंतर विद्युत उत्पादन, जिसे निर्माता कंपनी द्वारा गुणवत्ता श्रेणी के मानदण्डों अनुसार प्रत्याभूत (गारंटी) किया गया हो तथा संयुक्त चक्र (combined cycle) ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन के खण्ड के संबंध में अभिप्रेत है उत्पादक छोर पर उच्चतम निरंतर उत्पादन जिसे निर्माता द्वारा जल अथवा वाष्प अन्तःक्षेपण (injection) (लागू होने की दशा में) द्वारा 50 हर्ड्ज तक शोधित ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) तथा विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों के अनुसार प्रत्याभूत किया गया हो ;

(वाई) ''मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normative Annual Plant Availability Factor - NAPAF)" किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में, अभिप्रेत है उपलब्धता कारक जैसा कि इसे ताप–विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु विनियम 35 में तथा जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन हेतु विनियम 49 में निर्दिष्ट किया गया है ।

(जेड) ''अधिकारी'' से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(एए) ''प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses - O&M Expenses)'' से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी अंश के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय तथा इसमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति, मरम्मत, कल–पुर्जो, उपभोग्य सामग्रियों, बीमा तथा उपरिव्यय (Overheads) पर किये गये व्यय;

(बीबी) ''मूल परियोजना लागत (Original Project Cost)'' से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(सीसी) ''संयंत्र उपलब्धता कारक (Plant Availability Factor - PAF)'' किसी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में किसी अवधि हेतु से अभिप्रेत है उक्त अवधि हेतु समस्त दिवसों के लिये दैनिक घोषित क्षमताओं [Daily Declared Capacities (DC's)] का औसत जिसमें से मानदण्डीय सहायक खपत (मेगावॉट में) को घटाकर इसे स्थापित क्षमता के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा;

(डीडी) ''परियोजना (Project)'' से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादक स्टेशन तथा एक जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में सम्मिलित होंगे योजना से संबंधित विद्युत उत्पादक सुविधा संबंधी समस्त घटक, जैसे कि बांध, अंतर्ग्रहण जल–परिचालन प्रणाली (Intake Water Conductor System), विद्युत उत्पादक स्टेशन तथा विद्युत उत्पादक इकाईयां जैसा कि वे विद्युत उत्पादन गतिविधि में अभिभाजित है;

(ईई) ''नदी–बहाव आधारित पॉवर स्टेशन (Run-of River Power Station)'' से अभिप्रेत है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन जिस पर नदी बहाव की प्रतिकूल दिशा की ओर कोई जलाशय निर्मित नहीं किया गया है;

(एफएफ)''नदी–बहाव पर जलाशय आधारित पॉवर स्टेशन (Run-of River Power Station with Pondage)'' से अभिप्रेत है जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन जिस पर पर्याप्त क्षमता का जलाशय निर्मित किया गया है जिसके द्वारा ऊर्जा मांग की दैनिक परिवर्तनीय मांग की पूर्ति की जा सके;

(जीजी) ''अनुसूचित उत्पादन (Scheduled Generation-SG)'' का किसी समय या किसी अवधि या किसी समय–खण्ड से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त एक्स–बस (Ex-bus) से संचालित उत्पादन की अनुसूची मेगावॉट (MW) में अथवा मेगावॉट ऑवर (MWh) में;

(एचएच) ''अनुसूचित ऊर्जा (Scheduled Energy)'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस के दौरान अनुसूचित की गई जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन से ग्रिड में अन्तःक्षेप की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा;

(आईआई)''सचिव (Secretary)'' से अभिप्रेत है, आयोग के सचिव (Commission Secretary) ;

(जेजे) ''संग्रहण प्रकार का पॉवर स्टेशन (Storage Type Power Station)'' से अभिप्रेत है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन जो एक वृहद् जल संग्रहण क्षमता से संबद्ध है तथा परिवर्तनीय विद्युत मांग के अनुरुप ऊर्जा उत्पादन में सक्षम है;

(केके) ''विद्युत दर टैरिफ (Tariff)'' से अभिप्रेत है, उत्पादन तथा थोक विद्युत प्रदाय के प्रभारों की अनुसूची के साथ–साथ उसकी निबंधन तथा शर्तें;

(एलएल)''टैरिफ अवधि (Tariff Period)'' से अभिप्रेत है वह अवधि जिस हेतु इन विनियमों के अर्न्तगत आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ के सिद्धान्त प्रयोज्य हैं;

(एमएम) '' काल–खण्ड (Time Block)'' से अभिप्रेत है समय 00.00 बजे से आरंभ होने वाला 15–मिनट का एक खण्ड (Block);

(एनएन) ''उपयोगी जीवनकाल (Useful Life)'' किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन की इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से अभिप्राय निम्नानुसार होगा, अर्थात् :

अ.	कोयला/लिग्नाईट आधारित ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन	25 वर्ष
ब.	गैस/तरल ईंधन आधारित ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन	25 वर्ष
स.	जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन	35 वर्ष

(ओओ) ''असूचीबद्ध विनिमय (Unscheduled Interchange -UI)'' से अभिप्रेत है असूचीबद्ध विनिमय जैसा कि इन्हें भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) में परिभाषित किया गया है;

(पीपी) ''इकाई (Unit)'' जो संयुक्त–चक्र (combined cycle) ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशन से भिन्न किसी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन से संबद्ध है, से अभिप्रेत है वाष्प–विद्युत उत्पादन संयंत्र (steam generators), टरबाईन–विद्युत उत्पादन संयंत्र (turbine generators) तथा इनकी सहायक इकाईयां (auxiliaries) अथवा किसी संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन के संदर्भ में अभिप्रेत है टरबाईन–विद्युत उत्पादन संयंत्र तथा इनकी सहायक इकाईयां तथा जो किसी जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन से संबद्ध है, से अभिप्रेत है टरबाईन–विद्युत उत्पादन संयंत्र तथा इसकी सहायक इकाईयां;

(क्यूक्यू) ''वर्ष (Unit)'' से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष।

4.2 इस विनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि इनके बारे में अधिनियम में दर्शाया गया है।

5. टैरिफ का अवधारण (Determination of Tariff):

5.1 किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन के बारे में विद्युत–दर निर्धारण सम्पूर्ण विद्युत उत्पादक स्टेशन या उत्पादक स्टेशन के किसी चरण (Stage) या इकाईयां (Unit) या खण्ड (Block) के लिये किया जा सकेगा।

6. टैरिफ अवधारण के सिद्धांत (Principles of Tariff Determination):

6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत टैरिफ अवधारण की निबन्धन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धांतों के मार्गदर्शन का अनुसरण किया गया है।

6.2 ये विनियम उत्पादक कंपनी को सुस्थित वाणिज्यिक सिद्धांतों पर प्रचालन हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिये प्रवृत्त होते हैं। उत्पादन कंपनी द्वारा पूंजी (इक्विटी) से अनुज्ञेय योग्य प्रतिलाभ आयोग द्वारा नियत प्रचालन तथा लागत मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार किये गये निष्पादन पर निर्भर करेगा। परिसम्पत्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय को ही मान्य किया जाएगा।

6.3 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, वाणिज्यिक सिद्धांतों को अपनाया जाना तथा विद्युत उत्पादक कंपनी हेतु दक्षतापूर्ण कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना है तथा ये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के (सीईआरसी) सिद्धांतों पर आधारित हैं। टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा लागत मानदण्ड पूर्व अवधि में किये गये निष्पादन, इन्हीं के अनुरुप स्थापित की गई इकाईयों के निष्पादन, ईंधन, उपकरणों की गुणवत्ता, प्रचालन की प्रकृति तथा पिछले कई वर्षों के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हए उपार्जन की योग्यता पर यथोचित विचार करते हुए निर्दिष्ट किये गये हैं। अनुज्ञेय योग्य विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। उत्पादक कंपनी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत को स्वयं के पास पुरस्कार स्वरुप जमा रखने हेतु अनुज्ञेय किया गया है। इससे उत्पादक कंपनी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग हेतु प्रोत्साहित होने की अपेक्षा की जाती है। हितग्राही भी उत्पादक कंपनी के दक्ष निष्पादन तथा संशाधनों के मितव्ययी उपयोग द्वारा टैरिफ में कमी एवं उत्पादक स्टेशनों की उपलब्धता तथा संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor) में सुधार द्वारा लाभन्वित होंगे।

6.4 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई निबंधन तथा शर्तें केवल पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों हेतु ही लागू होती है।

7. टैरिफ आवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया (Procedure for making an application for Determination of Tariff):

7.1 विद्युत उत्पादक कंपनी विद्युत–दर के अवधारण के बारे में एक आवेदन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार दाखिल कर सकेगी।

7.2 आयोग को सदैव, उत्पादक कंपनी की किसी स्वविवेक याचिका की प्रस्तुति द्वारा अथवा किसी अभिरुचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर, टैरिफ तथा उसकी निबंधन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा आयोग ऐसी अवधारण की प्रक्रिया को, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, पहल की जा सकेगीः

परन्तु ऐसे टैरिफ के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों की अवधारण संबंधी कार्रवाई को कार्य संचालन विनियमों, समय–समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

7.3 विद्युत उत्पादक कंपनी आयोग को आवेदन के एक भाग के रुप में ऐसे प्रारुपों में जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी। उत्पादक कंपनी आवश्यक रुप से इकाईवार तथा स्टेशनवार विवरण जैसा कि वे प्रारुपों में विनिर्दिष्ट किये गये हों, प्रस्तुत करेगी जिससे आयोग को विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण किये जाने में सुविधा हो।

7.4 विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत–दर अवधारण के संबंध में एक आवेदन जो अंकेक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित पूंजीगत व्यय पर आधारित होगा अथवा जिसे वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक उपगत (Incurred) किया जाना प्रक्षेपित किया गया होगा तथा अंकेक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित उपगत किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय अथवा जिसे विद्युत उत्पादक स्टेशन की टैरिफ अवधि के दौरान उपगत किया जाना प्रक्षेपित किया होगा, इन विनियमों के अनुसार दाखिल किया जाएगा ।

विद्युत उत्पादक कंपनी को आवेदन को प्रक्रियाबद्ध (Processing) किये जाने के प्रयोजन से कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख, जो आवेदन पर यथोचित कार्रवाई के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने होंगेः

परन्तु विद्यमान परियोजना के प्रकरण में, आवेदन स्वीकृत पूंजीगत लागत मय किसी अतिरिक्त पूंजीकरण (Capitalization) के, जिसे दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकृत किया

जा चुका हो तथा टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु तत्संबंधी वर्षों के अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर आधारित होगाः

परन्तु यह भी कि आवेदन में प्रक्षेपित पूंजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जहां यह लागू हो, के संबंध में अन्तर्निहित पूर्वधारणाओं (Assumptions) के विवरण भी सम्मिलित किये जाएंगे।

7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोज्य से नामोद्दिष्ट अधिकारी आवेदन को संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार आवेदक को सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए {कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित } । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से तीन कार्यकारी दिवस के अंदर अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.6 विद्युत उत्पादक कंपनी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां) लेखांकन विवरण–पत्र, प्रचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि वे आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु चाहे जाए, प्रस्तुत करेगी।

7.7 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो उत्पादक कंपनी ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगाः

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रुप में उपलब्ध न कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रुप में इस बाबत् प्राधिकृत किया जाए।

8. टैरिफ के अवधारण तथा सत्यापन की विधि (Methodology for Determination of Tariff and True Up):

8.1 आयोग, विद्युत उत्पादक कंपनी की टैरिफ अवधियों का समय–समय पर निर्धारण करेगा। टैरिफ अवधारण के सिद्धांत टैरिफ अवधि के दौरान ही प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत टैरिफ

अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2016 की अवधि तक ही वैध रहेंगे।

8.2 इन विनियमों के अन्तर्गत उत्पादक कंपनी से संबंधित विद्युत–दर (टैरिफ) इकाई (यूनिट)–वार अथवा इकाई समूह–वार अवधारित की जाएगी। तथापि, जब कभी किसी नवीन विद्युत उत्पादक इकाई की दिनांक 01.04.2013 के उपरान्त अभिवृद्धि की जाएगी तो आयोग द्वारा ऐसी नवीन इकाई(यों) हेतु पृथक से विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारित की जाएगी। विद्युत उत्पादक कंपनी प्रत्येक उत्पादक स्टेशन हेतु दिनांक 01.04.2013 से पूर्व की इकाईयों हेतु, तथा इसके तत्पश्चात् जोड़ी गई इकाईयों हेतु पृथक से विभाजन दर्शाते हुए, गणनाएं प्रस्तुत करेगी।

8.3 टैरिफ के प्रयोजन हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत को प्रक्रम–वार (Stage wise) तथा परियोजना की विशिष्ट इकाई–वार पृथक–पृथक किया जाएगा। जहां परियोजना की पूंजीगत लागत प्रक्रमवार व इकाईवार विवरण का विभाजन उपलब्ध नहीं है तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रकरणों में, संयुक्त सुविधाओं को इकाइयों की क्षमता के आधार पर आनुपातिक रुप से विभाजित किया जाएगा। सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण तथा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित बहुउद्देशीय जल–विद्युत परियोजनाओं के प्रकरणों में केवल परियोजना के ऊर्जा उत्पादन से संबंधित घटक पर ही टैरिफ अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

व्याख्याः ''परियोजना'' में एक विद्युत उत्पादक–स्टेशन को सम्मिलित किया गया है।

8.4 एक उत्पादक कंपनी टैरिफ अवधि के आरंभ में एक याचिका दायर करेगी। आयोग द्वारा वर्ष के दौरान किये गये पूंजीगत व्यय तथा वास्तविक रुप से किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आकड़ों का सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन करने, जिस हेतु सत्यापन किये जाने संबंधी अनुरोध किया जा रहा है, हेतु समीक्षा की जाएगी। विद्युत उत्पादक कम्पनी, सत्यापन के प्रयोजन हेतु, अवधि दि. 01.04.2013 से दि. 31.03.2016 तक उपगत किये गये पूंजीगत व्यय तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, अंकेक्षकों द्वारा यथाअंकेक्षित तथा प्रमाणित किये गये अनुसार प्रस्तुत करेगी।

8.5 यदि अद्यतन रुप से वसूल किये गये टैरिफ की राशि सत्यापन उपरान्त किये गये अवधारित टैरिफ से अधिक हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा हितग्राहियों को अधिक वसूल की गई राशि को भारतीय स्टेट बैंक की तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 01 अप्रैल को लागू आधार दर (Base Rate) के बराबर साधारण ब्याज दर में 3.50 प्रतिशत जोड़कर प्रत्यर्पण (refund) किया जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे प्रकरण में जहां वसूल किये गये टैरिफ की राशि सत्यापन उपरान्त अवधारित टैरिफ राशि से कम हो तो विद्युत उत्पादक कंपनी हितग्राहियों से कम वसूल की गई राशि की वसूली तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 01 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर

के बराबर साधारण ब्याज में 3.50 प्रतिशत जोड़कर करेगी। सत्यापन याचिका आयोग द्वारा दायर किये जाने संबंधी विनिर्दिष्ट की गई समय सीमाओं के अनुसरण किये जाने के अध्यधीन होगी। ऐसे प्रकरणों में, जहां यह पाया गया हो कि सत्यापन याचिका का दायर किया जाना, उत्पादक कंपनी द्वारा किये गये विलम्ब के कारण है तो कम की गई वसूली राशि पर ब्याज देय न होगा।

8.6 टैरिफ तथा सत्यापन याचिका हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित अथवा संबंधित विनियमों की अधिसूचना तिथि से 30 दिवस के भीतर, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, विनिर्दिष्ट अनुसार तथा निर्धारित प्ररुपों में प्रतिवर्ष 15 नवम्बर तक प्रस्तुत की जाएगी।

8.7 एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास एक विद्युत उत्पादक स्टेशन का स्वामित्व तथा उसके प्रचालन का दायित्व हो, वह उसके उत्पादन व्यवसाय, अनुज्ञप्ति व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायों के पृथक–पृथक लेखे संधारित करेगा तथा उन्हें प्रस्तुत करेगा।

9. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि का प्रस्तुतिकरण (Submission of Annual Accounts, Reports, etc):

9.1 विद्युत उत्पादक कंपनी को लेखों के वार्षिक विवरण–पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने होंगे। वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के अतिरिक्त, उत्पादक कंपनी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा संहिताओं की संसूचना अर्हताओं तथा अनुज्ञप्ति शर्तों का अनुपालन करना होगा।

9.2 विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग कतिपय स्व–विवेक याचिका द्वारा कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

10. टैरिफ अवधारण में अन्तराल (Periodicity of Tariff Determination):

10.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में टैरिफ अथवा टैरिफ का कोई भी अंश सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जा सकेगा, केवल ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जहां विनियमों के निबन्धनों में विनिर्दिष्टानुसार किसी परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो। आयोग, स्वयं द्वारा संतुष्ट होने पर ही, जिस हेतु उसके द्वारा कारण लिखित में अभिलिखत किये जाएंगे, विद्युत दर (टैरिफ) में अन्य पुनरीक्षण अनुज्ञेय कर सकेगा।

10.2 इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित टैरिफ में समायोजन के अध्यधीन होगी, यदि

आयोग सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से विद्युत उत्पादक कम्पनी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है।

11. सुनवाई (Hearings):

11.1 टैरिफ आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

12. आयोग के आदेश (Orders of the Commission):

12.1 किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग विद्युत उत्पादक कंपनी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों का मूल्यांकन कर सके।

12.2 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित, के उपबन्धों के अनुरुप समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

13. अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक प्रभारित करना (Charging of Tariff other than Approved):

13.1 किसी उत्पादक कंपनी जिसे हितग्राही से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न टैरिफ प्रभारित करते हुये पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत उत्पादक कंपनी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व बिना किसी पक्षपात के दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ जिसकी दर तत्संबंधी वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 3.50 प्रतिशत जोड़कर होगी, मय आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति (Penalty) के प्रत्यर्पण (refund) की जाएगी।

14. उत्पादक कंपनी की वार्षिक समीक्षा (Annual Review of Generation Company):

14.1 विद्युत उत्पादक कंपनी नियतकालिक विवरणिका पत्र (रिटर्न) जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिनमें प्रचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को सुनिश्चित बनाये जाने संबंधी अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु प्रस्तुत करेगी।

14.2 विद्युत उत्पादक कम्पनी आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण–पत्र तथा लेखा मय अंकेक्षित लेखे के अन्तिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगी।

अध्याय – दो

टैरिफ अवधारण के सिद्धांत तथा पद्धति (Principles and Methodology for Determination of Tariff)

15. टैरिफ अवधारण संबंधी याचिका (Petition for Determination of Tariff):

15.1 विद्युत उत्पादक कंपनी, किसी हितग्राही जो इन विनियमों के उपबन्धों का परिपालन करता हो, को विद्युत प्रदाय हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित में दिये गये उपबन्धों के परिपालन में टैरिफ अवधारण हेतु एक याचिका दायर करेगी।

15.2 विद्युत उत्पादक कंपनी, इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर आधारित टैरिफ अवधारण की याचिका प्रस्तुत करेगी। इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2016 तक प्रयोज्य होगाः

परन्तु किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में, आवेदन स्वीकृत पूंजीगत लागत पर आधारित होगा जिसमें दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकृत पूंजीगत लागत तथा टैरिफ अवधि 2013–16 के तत्संबंधी वर्षों हेतु प्राक्कलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय शामिल किया जाएगा।

15.3 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, विद्युत उत्पादक कंपनी अनन्तिम रुप से हितग्राहियों को, दिनांक 01.04.2013 को प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु, जैसा कि वह दिनांक 31.03.2013 को प्रयोज्य है, देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगी, जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत–दर को अनुमोदित न कर दिया जाएः

परन्तु जहां अनन्तिम रुप से बिल की गई विद्युत–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत दर से अधिक हो अथवा कम हो उत्पादक कंपनी हितग्राहियों को/से इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष हेतु प्रथम अप्रैल को लागू आधार दर में 3.50 प्रतिशत जोड़कर इन विनियमों के अन्तर्गत अंतिम विद्युत–दर (टैरिफ) की अवधारण तिथि से छः माह के भीतर करेगी।

15.4 जहां किसी विद्यमान या फिर नवीन परियोजना के बारे में विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी आवेदन आयोग के समक्ष इस विनियम की कण्डिका 15.1 तथा 15.2 के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो, आयोग परियोजना की वार्षिक स्थाई लागत के 95 प्रतिशत के अन्तर्गत युक्तियुक्त जांच (Prudent Check) उपरान्त अनंतिम विद्युत–दर को अपने विवेकानुसार विचार कर स्वीकार

कर सकेगा जो इस विनियम की कण्डिका 15.3 के उपबन्ध के अनुसार, अन्तिम विद्युत–दर आदेश जारी होने के उपरान्त समायोजन के अधीन होगी:

परन्तु क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की वसूली, यथास्थिति, विद्यमान अथवा नवीन परियोजना के सबंध में जिस हेतु अनन्तिम विद्युत–दर स्वीकृत की गई हो, इन विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

16. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सिद्धांत :

16.1 आयोग ने इन विनियमों की संरचना में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी) द्वारा उनकी उसकी अधिसूचना दिनांक 19.1.2009 द्वारा जारी टैरिफ विनियम संबंधी निबंधन एवं शर्तें, वर्ष 2009 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों तथा पद्धतियों संबंधी आदेश, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2009, से प्रभावशील है, से मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

17. पूंजीगत लागत :

17.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगेः

(अ) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिनमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्त प्रभार, निर्माणाधीन अवधि में ऋण पर विदेश विनिमय परिवर्तन में जोखिम के कारण कोई लाभ अथवा हानि से जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा–(i) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी लगाई गई निधि से 30 प्रतिशत अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा अथवा (ii) लगाई गई निधि के 30 प्रतिशत से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के उपरान्त स्वीकार किया गया हो, टैरिफ अवधारण का आधार बनेगा।

(ब) प्रारंभिक कलपुर्जो की पूंजीकृत राशि निम्न उच्चस्थ मानदण्डों के अधीन होगी:

(i) कोयला आधारित लिग्नाईट प्रज्जवलित ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में–मूल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत।

(iii) जल–विद्युत उत्पादक स्टेशनों में – मूल परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत।

परन्तु जहां विनियम 17.2 के प्रथम उपबंध के अंतर्गत प्रारंभिक कलपुर्जों हेतु, मानदण्डीय लक्ष्यों का प्रकाशन पूंजीगत लागत हेतु मानदण्डीय लक्ष्यों के एक भाग के

रुप में किया गया हो, ऐसे मानदण्ड उनमें विनिर्दिष्ट किये गये मानदण्डों के अपवर्जन (Exclusion) हेतु लागू होंगे।

(स) विनियम 20 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय।

17.2 युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई पूंजीगत लागत टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगीः

परन्तु आयोग द्वारा पूंजीगत लागत की युक्तियुक्त जांच केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों के आधार पर की जा सकेगी;

परन्तु यह भी कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग नहीं किया जाता हो, युक्तियुक्त जांच–पड़ताल में पूंजीगत व्यय, वित्त प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आधिक्य लागत तथा आधिक्य समय सम्मिलित किये जाएंगे, जैसा कि ये आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु समुचित समझे जाएं**:**

परन्तु यह भी कि आयोग द्वारा किसी स्वतंत्र संस्था अथवा विशेषज्ञ द्वारा जल–विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के सूक्ष्म परीक्षण हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है तथा ऐसी संस्था अथवा विशेषज्ञ द्वारा किये गये पूंजीगत लागत के सूक्ष्म परीक्षण के निष्कर्षों पर आयोग द्वारा जल–विद्युत परियोजनाओं का टैरिफ अवधारण करते समय विचार किया जाएगा**:**

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रकरण में जहां किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की द्वि–स्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा किसी जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन का कार्य किसी विकासक संस्था को (जो शासन द्वारा नियंत्रित अथवा शासन के स्वामित्व वाली कंपनी न होगी) को आवंटित किया जाता है, वहां परियोजना के विकासक द्वारा परियोजना कार्य आवंटन हेतु किया गया कोई व्यय अथवा जिसे व्यय किये जाने हेतु वचनबद्ध किया गया है, को पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा**:**

परन्तु यह भी कि ऐसे जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में, पूंजीगत लागत में निम्न लागतें भी शामिल की जाएंगी**:**

(अ) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन नीति (National R & R Policy) तथा पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन समुच्चय (Package) के अनुरूप परियोजना की अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन योजना लागत**;** तथा

(ब) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) परियोजना हेतु परियोजना विकासक का 10 प्रतिशत अंशदान:

परन्तु यह भी कि जहां विद्युत उत्पादक कंपनी तथा हितग्राहियों के मध्य किया गया विद्युत क्रय अनुबंध अथवा कार्यान्वयन अनुबंध वास्तविक व्यय हेतु उच्चस्थ सीमा का प्रावधान करता हो, वहां टैरिफ के अवधारण हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये पूंजीगत व्यय पर ऐसी उच्चस्थ सीमा पर विचार किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 01.04.2013 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत जिसे दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अ–निष्पादित दायित्वों (Undischarged Liabilities) को छोड़कर, यदि कोई हो, सत्यापित किया जाएगा तथा टैरिफ अवधि 2013–16 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा; पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगा।

18. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (Renovation & Modernization)

18.1 विद्युत उत्पादक कम्पनी, उत्पादक स्टेशन अथवा उसके किसी भाग के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय (Financial Package), व्यय का प्रक्रम, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी विनिमय घटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों का सहमति–पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे उत्पादक कम्पनी द्वारा प्रासंगिक माना जाए, संलग्न करेगी।

18.2 जहां विद्युत उत्पादक कम्पनी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत–प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएंगे, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा।

18.3 टैरिफ के अवधारण का आधार, वास्तविक रूप से किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित (Projected) व्यय, आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवन–काल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों की युक्तियुक्त जांच–पड़ताल पश्चात् तथा

प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन पश्चात तथा मूल परियोजना लागत से संचित अवमूल्यन को घटाकर स्वीकार किया गया हो, होगा।

18.4 विद्युत उत्पादक कम्पनी किसी ताप–ऊर्जा उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में किसी इकाई हेतु या इकाईयों के समूह हेतु उसकी स्वेच्छानुसार व्ययों की आवश्यकता की आपूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति के रुप में, जिनमें उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी इकाई के उसके उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसके नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान भी शामिल है, विशेष छूट की सुविधा प्राप्त कर सकेगा तथा ऐसी परिस्थिति में, पूंजीगत लागत के पुनरीक्षण को शामिल नहीं किया जाएगा तथा प्रयोज्य प्रचालन मानदण्डों को शिथिल नहीं किया जाएगा परन्तु वार्षिक स्थाई लागत में विशेष रियायत दी जाएगी:

परन्तु यह कि एक बार प्रयोग किये गये विकल्प को अंतिम माना जाएगा तथा उसमें किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि इस प्रकार का विकल्प किसी उत्पादक स्टेशन हेतु उपलब्ध न होगा जिस के लिये नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी कार्य हाथ में लिया गया हो तथा आयोग द्वारा व्यय का अनुमोदन इन विनियमों को लागू किये जाने से पूर्व किया गया है, अथवा किसी उत्पादक स्टेशन अथवा इकाई हेतु जो अपेक्षाकृत कम क्षमता पर अथवा शिथिल प्रचालन तथा अनुपालन मानदण्डों के अनुसार कार्य कर रहा हो। ऐसी उत्पादक इकाई के मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normative Annual Plant Availability Factor - NAPAF) में समुचित कमी जिसके नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव को आयोग द्वारा विनियम 18.1 के अनुसार अनुमोदित किया जा चुका हो परन्तु आयोग द्वारा उक्त वर्ष हेतु विचार किया जाएगा जिसके अंतर्गत इकाई का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य हाथ में लिया गया है। तथापि, ऐसी उत्पादक इकाई बाबत् प्रचालन मानदण्डों की समीक्षा नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यों के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा की जाएगी। विद्युत उत्पादक कंपनी अपने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रस्तुति में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण मानदण्डों में अपेक्षित सुधारों की प्रस्तुति करेगी तथा विशिष्ट उत्पादक इकाई हेतु प्रचालन मानदण्डों में अपेक्षित सुधार नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यों की समाप्ति के उपरान्त ही लागू होंगे।

18.5 एक विद्युत उत्पादक कम्पनी जो इस विनियम की कण्डिका 18.4 के अन्तर्गत किसी अन्य विकल्प हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति करती है, उसे किसी उत्पादक स्टेशन की तत्संबंधी इकाईयों की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से संबंधित उपयोगी जीवनकाल की इकाईवार समाप्ति की

तत्संबंधी तिथि के वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 7.25 लाख/मेगावाट/वर्ष की दर से विशेष छूट प्रदान की जाएगी तथा तत्पश्चात टैरिफ अवधि 2013–16 के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष से तथा उत्पादन स्टेशन की तत्संबंधी तिथि से प्रतिवर्ष 7.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी:

परन्तु उक्त इकाई के संबंध में, जो दि. 01.04.2013 की स्थिति में 25 वर्ष से अधिक की वाणिज्यिक प्रचालन अवधि पूर्ण कर चुकी हो, उसे यह छूट वर्ष 2013–14 से प्रदान की जाएगी:

19. अस्थाई विद्युत का विक्रय (Sale of Infirm Power)

19.1 अस्थाई विद्युत (Infirm Power) को असूचीबद्ध विनिमय (Unscheduled Interchange) के अन्तर्गत लेखांकित किया जाएगा तथा इसका भुगतान क्षेत्रीय/राज्य असूचीबद्ध विनिमय संकोष लेखा (Unscheduled Interchange Pool Account) से प्रयोज्य आवृत्ति से संबद्ध असूचीबद्ध विनिमय दर (Frequency Linked UI Rate) पर किया जाएगा;

परन्तु उत्पादक कम्पनी द्वारा अस्थाई विद्युत के विक्रय से अर्जित राजस्व को ईंधन व्ययों के समायोजन उपरान्त पूंजीगत लागत में कमी लाये जाने में प्रयुक्त किया जाएगा।

20. अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization)

20.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त पृथक्कृत तिथि (Cut Off Date) तक किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, को आयोग अपने विवेकानुसार द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगाः

(ए) अनिष्पादित दायित्व (Undischarged Liabilities),

(बी) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो,

(सी) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व;

(डी) कानून में किसी परिवर्तन के कारण; तथा

(ई) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत 17.1(ब) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक कलपुर्जो की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतुः

परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण, व्यय के प्राक्कलन अनिष्पादित दायित्व तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची टैरिफ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

20.2 पृथक्कृत तिथि (Cut Off Date) के उपरान्त किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

(ए) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन;

(बी) कानून में परिवर्तन; तथा

(सी) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत राखड़ तालाब (Ash Pond) अथवा राखड़ हस्तालन प्रणाली (Ash Handling System) से संबंधित विलंबित कार्यः

(डी) जल विद्युत स्टेशनों के प्रकरण में, ऐसा कोई व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के कारण अत्यावश्यक हो गया हो (जो विद्युत उत्पादन कंपनी की असावधानी के कारण पॉवर हाऊस में जल–भराव के कारण न हो) जिसमें भू–वैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित होंगे, तथा किसी बीमा योजना से प्राप्त होने वाली कोई राशि तथा किसी अतिरिक्त कार्य के कारण किया गया कोई व्यय जो सफल तथा दक्ष संयंत्र प्रचालन हेतु अत्यावश्यक हो, समायोजित किया जाएगाः

परन्तु उपरोक्त उप–कण्डिका (डी) के संबंध में, लघु मदों अथवा परिसंपत्तियां जैसे कि औजार तथा उपकरण, फर्नीचर, वातानुकूलन संयंत्र, वोल्टेज संतुलन उपकरण (Stabilizers) रेफ्रीजरेटर, कूलर, पंखे, धुलाई मशीनें (Washing Machines) ऊष्मा परिवहन संयंत्र (Heat Convectors) तथा दरियां, मेट्रेस आदि जो पृथक्कृत तिथि के उपरान्त उपलब्ध कराई गई हो, के अर्जन हेतु किये गये व्यय पर अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ के अवधारण के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

(ई) कोई भी पूंजीगत व्यय जिसे युक्तियुक्त परीक्षण के बाद न्यायोचित पाया गया हो व जो ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में, पूर्ण कोयला संयोजन (Full Coal Linkage) के क्रियान्वयन न होने के कारण, ईंधन प्राप्ति प्रणाली (Fuel Receipt System) में वांछित या किये सुधारों के कारण आवश्यक हो, तथा ऐसी परिस्थितियों से उद्भूत हो जो विद्युत उत्पादक स्टेशन के नियंत्रण से परे है।

(एफ) कोई भी ऐसा व्यय, जिसे आयोग द्वारा ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन के संचालन में अपरिहार्य माना जाए परन्तु ऐसे प्रकरण में कण्डिका 36.2 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति रियायत (Compensation) की पात्रता नहीं होगी।

(जी) अन्तिम भुगतान/रोके गये भुगतान के संबंध में कोई भी अल्पभारित दायित्व (Undercharged Liability) जो पृथक्कृत तिथि के भीतर संविदाकृत अपेक्षाओं के कारण निष्पादित कार्यों से उद्भूत हो, युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त इस प्रकार के स्थगित दायित्व, समुच्चय (Package) की कुल अनुमानित लागत ऐसे रोके गये भुगतान के संबंध में कारण दर्शाते हुए तथा ऐसे स्वत्वों के भुगतान जारी करने के बारे में विवरण, आदि।

21. ऋण–पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio):

21.1 विद्युत उत्पादक कंपनी के प्रकरण में जहां इसे दिनांक 01.04.2013 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2013 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत टैरिफ के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किया गया ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात मान्य किया जाएगा। दिनांक 01.04.2013 को या उसके बाद, टैरिफ के प्रयोजन से, क्रियाशील किये गये नवीन विद्युत उत्पादन स्टेशन के अथवा उनकी क्षमता वृद्धि के प्रकरणों में उनकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को ऋण–पूंजी का अनुपात 70:30 होगा। इस कण्डिका के अनुसार गणना की गई ऋण–पूंजी राशि का उपयोग ऋण पर ब्याज, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन की गणना में किया जाएगा।

21.2 जहां वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी 30% से अधिक प्रयुक्त की गई हो, वहां टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु पूंजी (इक्विटी) की राशि को 30% तक सीमित रखा जाएगा तथा शेष राशि को ऋण के रुप में मान्य किया जाएगा। पूंजी से 30% आधिक्य राशि, जिसे ऋण समझा गया हो, हेतु प्रयोज्य ब्याज दर विनियम 23 में विनिर्दिष्ट की गई है। जहां लगाई गई वास्तविक पूंजी 30% से कम हो, वहां वास्तविक पूंजी पर ही विचार किया जाएगा।

22. पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity):

22.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना चुकाई गई पूंजी पर रुपयों के रुप में विनियम 21 के अन्तर्गत अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी।

22.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व–टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम की कण्डिका 22.3 के अनुसार सकलबद्ध (Gross-up) किया जाएगाः

परन्तु ऐसी परियोजनाओं के प्रकरणों में जिन्हें दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को अथवा उसके उपरान्त क्रियाशील (Commissioned) किया जाता है, वहां उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय किया जाएगा यदि ये परियोजनाएं **परिशिष्ट–1** में दर्शाई गई समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाती हैंः

परन्तु यह भी कि 0.5 प्रतिशत का यह अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती, भले ही इसके कोई भी कारण क्यों न हों।

22.3 वर्ष 2012–13 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विद्युत उत्पादक कंपनी को प्रयोज्य सामान्य कर दर की आधार दर को सकलीकृत करते हुए की जाएगी:

परन्तु विद्युत उत्पादक कंपनी को प्रयोज्य वास्तविक कर दर के संबंध में पूंजी पर प्रतिलाभ जो टैरिफ अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबन्धों से संरेखित हो, का सत्यापन प्रत्येक वर्ष हेतु आगामी टैरिफ अवधि की टैरिफ याचिका के साथ पृथक से किया जाएगा।

22.4 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$\text{पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर (Rate of Pre-Tax Return on Equity)} = \frac{\text{आधार दर}}{(1-t)}$$

जहां पर 't' इस विनियम की कण्डिका 22.3 के अनुसार प्रयोज्य कर–दर है।

उदाहरण (Illustration) :

(i) विद्युत उत्पादक कंपनी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान 20.01 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge & Cess) को सम्मिलित करते हुये कर रहा हो:

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1-0.2001)} = \textbf{19.377 प्रतिशत}$$

(ii) ऐसे विद्युत उत्पादक कंपनी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर का भुगतान माने गये 33.99 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge & Cess) को सम्मिलित कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1-0.3399)} = \textbf{23.481 प्रतिशत}$$

23. ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges on Loan Capital):

23.1 विनियम 21 में दर्शाई गई विधि अनुसार गणना किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये जाने जाएंगे।

23.2 दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दि. 31.03. 2013 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जायेगी।

23.3 टैरिफ अवधि 2013–16 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा।

23.4 विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि (Moratorium Period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

23.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना, परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण की श्रेणी (Portfolio) के आधार पर की जाएगीः

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगीः

परन्तु यदि उत्पादक स्टेशन के विरुद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादक कंपनी की समग्र रुप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी।

23.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

23.7 विद्युत उत्पादक कंपनी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु समस्त प्रयास करेगी जब तक यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत हो तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों तथा विद्युत उत्पादक कंपनी के मध्य 2:1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

23.8 ऋणों की निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

23.9 किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगाः

परन्तु हितग्राहियों द्वारा विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उदभूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका न जाएगा।

24. अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation):

24.1 टैरिफ के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगीः

(ए) अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु आधार मूल्य परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए।

(बी) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा की निधि की प्राप्ति (फंडिंग) सम्मिलित होगी जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रुपयों में परिवर्तित किया जाएगी।

(सी) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगाः

परन्तु किसी जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में, उपादेय मूल्य, विकासकों द्वारा राज्य शासन के साथ कार्यस्थल के चयन हेतु किये गये लिखित समझौते में किये गये प्रावधान अनुसार होगाः

परन्तु यह भी कि जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन से विनियमित टैरिफ अनुसार दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय समझौते के अंतर्गत विद्युत विक्रय के प्रतिशत से तत्संबंधी होगी।

(डी) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को तथा जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन–योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत पर पूंजीगत लागत की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

(ई) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष 'सरल रेखा विधि (Straight Line Method)' के आधार पर की जाएंगी तथा विद्युत उत्पादक स्टेशन की परिसम्पत्तियों हेतु **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगीः

परन्तु वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में, अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

(एफ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित

किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात् अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

(जी) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। यदि परिसम्पत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी अंश हेतु अवमूल्यन को ***आनुपातिक दर (Pro-rata)*** पर प्रभारित किया जाएगा।

25. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार (Lease/Hire Purchase Charges):

25.1 विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा पट्टे (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पट्टा प्रभारों पर पट्टा संबंधी अनुबंध अनुसार विचार किया जाएगा बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तियुक्त माना जाए।

26. प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses) :

26.1 टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानकीकृत प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा।

26.2 आयोग द्वारा विद्युत उत्पादक स्टेशनों के संबंध में मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना विद्यमान पॉवर स्टेशनों तथा नवीन विद्युत स्टेशनों के बारे में अलग–अलग की जाएगी।

26.3 विद्यमान पॉवर स्टेशनों (एम.पी.पी.जी.सी.एल. संबंधी) हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों के साथ–साथ कर्मचारी व्यय (Employee Expenses), मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repair & Maintenance Expenses) व प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (Administrative and General Expenses) को पिछले पांच वर्षों (अर्थात, वित्तीय वर्ष 2007 से वित्तीय वर्ष 2011 तक) हेतु को इन व्ययों के आधार पर विचार करते हुए अंकेक्षित लेखों के आधार पर व्युत्पादित (Derived) किया जाता है। कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों पर विनियम 36.1 तथा 50.1 के अनुसार विचार किया जाता है। उपरोक्त पांच वर्षों के लिये औसत व्यय में 6.14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जाती है, जिसके अनुसार आधार वर्ष, अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संचालन एवं संधारण व्ययों को आधार व्यय माना जाता है तथा थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के भारित औसत पर 60:40 के अनुपात में विचार करते हुए इनमें आगे 7.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाती है।

26.4 प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष हेतु, प्रचालन एवं संधारण व्ययों को उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवधारित किये गये आधार व्ययों में 7.93 प्रतिशत के वृद्धि कारक (Escalation Factor) की दर से अवधारित की जाएगी, जिसके अनुसार नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना की जाएगी :

परन्तु ऐसे किसी प्रकरण में जहां विद्यमान विद्युत उत्पादन स्टेशन 01.04.2012 के उपरान्त प्रचालन में आया हो वहां नवीन विद्युत उत्पादक स्टेशनों बाबत् प्रचालन एवं संधारण व्यय वे होंगे जैसा कि इन्हें विनियम 36 में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

26.5 मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में कर्मचारी व्यय, जिन पर संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचार किया गया है, पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) को छोड़कर हैं। कार्मिकों के बारे में, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के विद्यमान पेंशन भोगियों तथा मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के पेंशन भोगियों को सम्मिलित करते हुए, के पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाओं के बारे में निधीयन मप्र विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कर्मिकों के तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) के अनुसार किया जाएगा।

26.6 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इस विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

26.7 विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को उत्पादक कंपनी को ही वहन करना होगा।

27. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :

27.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की 01 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की प्रयोज्य आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर की समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही विद्युत उत्पादक कंपनी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण की तुलना में मानदण्डीय आधार पर आवश्यक कार्यकारी पूंजी ऋण से किसी प्रकार की वृद्धि की गई हो।

28. आय पर कर (Tax on Income):

28.1 विद्युत उत्पादक कंपनी के स्त्रोतों पर कर को हितग्राहियों से वसूल नहीं किया जाएगाः

परन्तु 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के विलम्बित कर दायित्व, अतिरिक्त लाभों (fringe benefits) को छोड़कर, के क्रियान्वित होने पर ये हितग्राहियों (Beneficiaries) से प्रत्यक्ष रुप से वसूली योग्य होंगे।

29. विदेश विनिमय दर परिवर्तन (Foreign Exchange Rate Variation - FERV) :

29.1 विद्युत उत्पादक कंपनी निवेश विनिमय की अनावृत्ति (Exposure) को विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में बचाव (Hedge) एक अंश में अथवा पूर्ण रुप से जो कि विद्युत उत्पादक कंपनी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगा।

29.2 प्रत्येक विद्युत उत्पादक कंपनी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेश विनिमय दर परिवर्तन से बचाव की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि यह व्यय के रुप में, उद्भूत होता है, करेगी तथा इस प्रकार के विदेश विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रुपयों के भुगतान के दायित्व को, बचाव (Hedged) किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

29.3 उक्त सीमा, जहां तक कि विद्युत उत्पादक कंपनी विदेश विनिमय अनावृत्ति का समायोजन करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रुपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी है, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते यह विद्युत उत्पादक कंपनी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदारों के कारण न हों।

29.4 विद्युत उत्पादक कंपनी बचाव (Hedging) की लागत तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन को आय के रुप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूल करेगी।

30. प्रकाशन संबंधी व्यय (Publication Expenses) :

30.1 याचिकाकर्ता द्वारा टैरिफ/सत्यापन याचिका के नोटिस के प्रकाशन के संबंध में उपगत किये गये व्यय, जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें हितधारकों से टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित किये जाने बाबत् अनुमोदित किया जाए, आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के समय स्वीकृत किये जाएंगे।

31. गैर–टैरिफ आय (Non-Tariff Income) :

(अ) ऐसी कोई आय, जो विद्युत उत्पादक कंपनी के व्यवसाय के बारे में आनुषांगिक (Incidental) हो, जिसे विभिन्न स्त्रोतों से व्युत्पादित किया गया हो परन्तु जो परिसम्पत्तियों के निपटान, पूंजी निवेश, भाड़े से प्राप्त आय, रद्दीमाल (Scrap) जो अपूंजीकृत (Decapitalized) / बट्टे खाते में डाली गई (Written Off) परिसम्पत्तियों को छोड़कर हो, से प्राप्त आय, विज्ञापनों से प्राप्त आय, सामग्री प्रदायकों (Suppliers) / ठेकेदारों (Contractors) को प्रदत्त अग्रिमों से प्राप्त आय, राखड़ / अस्वीकृत किये गये कोयले (Ash/Rejected Coal) की बिक्री से प्राप्त आय तथा अन्य कोई विविध प्राप्तियों से संबद्ध हो परन्तु ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त की गई आय को छोड़कर हो, तक ही सीमित न होंगी, गैर–टैरिफ आय का घटक होगी।

(ब) विद्युत उत्पादन के व्यापार से संबद्ध गैर–टैरिफ आय की राशि, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, को विद्युत उत्पादक कम्पनी के वार्षिक स्थाई प्रभार (Annual Fixed Charge) के अवधारण हेतु वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost) में से घटाया जाएगाः

परन्तु विद्युत उत्पादक कंपनी गैर–टैरिफ आय के पूर्वानुमान के बारे में पूर्ण विवरण आयोग को ऐसे स्वरुप में प्रस्तुत करेगी जैसा कि आयोग द्वारा इसके संबंध में समय–समय पर मांग की जाए। गैर–टैरिफ का भी सत्यापन अंकेक्षित लेखों के आधार पर किया जाएगा।

32. विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge) :

32.1 ऐसे प्रकरणों में, जहां विद्युत उत्पादन से संबंधित देयकों के भुगतान में देयकों की प्रस्तुति तिथि से 60 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता है, विद्युत उत्पादन कम्पनी प्रति दिवस विलम्ब भुगतान हेतु 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार अधिरोपित कर सकेगी।

33. छूट (Rebate) :

33.1 क्षमता प्रभारों एवं ऊर्जा प्रभारों के देयकों का भुगतान, साख पत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी। देयक का भुगतान किसी अन्य विधि द्वारा, परन्तु विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा देयक प्रस्तुति के एक माह के भीतर किये जाने पर 1 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी।

अध्याय–तीन

ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन (Thermal Power Generating Stations)

34 टैरिफ के घटक (Components of Tariff) :

34.1 किसी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ दो भागों में, अर्थात वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार {Annual Capacity (Fixed) charge} तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार {Energy (Variable) Charge} की वसूली द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसकी गणना निम्न दर्शाई गई विधि द्वारा की जाएगी।

34.2 वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों में निम्न सम्मिलित होंगेः

(ए) पूंजी पर प्रतिलाभ;

(बी) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्तीय प्रभार;

(सी) अवमूल्यन/अवक्षयण;

(डी) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार;

(ई) प्रचालन तथा संधारण व्यय;

(एफ) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार;

(जी) द्वितीयक ईंधन तेल (Secondary Fuel Oil) की लागत;

(एच) मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) के स्थान पर विशेष भत्ता अथवा पृथक क्षतिपूर्ति भत्ता, जहां वह लागू हो;

परन्तु कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में, वर्ष के दौरान मानदण्डीय द्वितीयक ईंधन तेल खपत (Normative Secondary Fuel Consumption) पर व्यय स्थाई प्रभार में सम्मिलित किये जाएंगे।

34.3 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में मुख्य ईंधन की लागत भी सम्मिलित की जाएगी।

35. प्रचालन के मानदण्ड (Norms of Operation):

35.1 मध्यप्रदेश पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एम.पी.पी.जी.सी.एल.) के विद्यमान ताप ऊर्जा विद्युत स्टेशनों को निम्न दर्शाये गये प्रचालन के मानदण्ड लागू होंगे, जिन्हें 31 मार्च, 2012 से पूर्व क्रियाशील (Commission) किया गया हो।

(ए) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक **(Normal Annual Plant Availability Factor-NAPAF)**

उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 x 5	312.5	80.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	75.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	75.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		**1142.5**	**76.37%**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**65.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**85.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 x 210	420.0	80.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 x 210	420.0	80.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**80.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन नवीन इकाई (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500**	**85.00%**

(बी) सकल स्टेशन ऊष्मा दर (**Gross Station Heat Rate**) (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर)

उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 x 5	312.5	2900
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	2700
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	2700
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		**1142.5**	**2755**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**3200**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**2450**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 x 210	420.0	2600
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 x 210	420.0	2600
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**2600**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन नवीन इकाई (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500**	**2425**

(सी) आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत (**Specific Fuel Oil Consumption**) (मिलीलीटर/किलोवॉट ऑवर)

उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 x 5	312.5	2.75
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	1.75
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		**1142.5**	**2.02**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**2.00**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**1.00**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 x 210	420.0	1.30
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 x 210	420.0	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**1.15**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन नवीन इकाई (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500**	**1.00**

(डी) सहायक ऊर्जा खपत (**Auxiliary Energy Consumption**) (%)

उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 x 5	312.5	9.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 x 210	420.0	10.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		**1142.5**	**9.73%**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 2	**2 x 120**	**240.0**	**10.00%**
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 3	**1 x 210**	**210.0**	**9.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 x 210	420.0	9.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 x 210	420.0	9.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		**840.0**	**9.00%**
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन नवीन इकाई (500 मेगावाट)	**1 x 500**	**500**	**6.00%**

35.2 दिनांक 01.04.2012 को अथवा उसके पश्चात् समस्त क्षमताओं के संबंध में क्रियाशील (Commissioned) की गई समस्त ताप–ऊर्जा विद्युत उत्पादक इकाईयों स्टेशनों हेतु निम्न मानदण्ड लागू होंगे:

अ. मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normal Annual Plant Availability Factor-NAPAF): 85%

ब सकल स्टेशन ऊष्मा दर (Gross Station Heat Rate)

कोयला आधारित तथा लिग्नाईट प्रज्जवलित ताप–ऊर्जा विद्युत उत्पादक स्टेशन = 1.065 x रुपांकित ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर)।

जहां किसी इकाई की रूपांकित ऊष्मा दर से तात्पर्य है इकाई ऊष्मा दर जिसे सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा 100 प्रतिशत उच्चतम निरंतर गुणवत्ता श्रेणी (MCR), शून्य प्रतिशत प्रतिपूर्ति (make up), रूपांकित कोयला तथा रूपांकित शीतल जल तापमान/पृष्ठ दबाव (back pressure) जैसी परिस्थितियों हों पर प्रतिभूत किया गया है;

परन्तु रूपांकित ऊष्मा दर निम्न दर्शाई गई अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दरों जो इकाईयों की दबाव तथा तापमान गुणवत्ताओं पर निर्भर करेंगी से अधिक नहीं होगी :

दबाव गुणवत्ता श्रेणी (Pressure Rating) (किलोग्राम/वर्ग सेमी)	**150**	**170**	**170**	**247**	**247**
सुपर हीटर टेम्परेचर/रीहीटर टेम्परेचर (SHT/RHT) (^{o}C)	**535/535**	**537/537**	**537/565**	**537/565**	**565/593**
वाष्पयंत्र पोषित पंप का प्रकार (Type of BFP)	**विद्युत चालित**	**टरबाईन चालित**	**टरबाईन चालित**	**टरबाईन चालित**	**टरबाईन चालित**
अधिकतम टरबाईन चक्र ऊष्मा दर (Max Turbine cycle Heat Rate) (किलो कैलोरी/किलोवॉट ऑवर)	**1955**	**1950**	**1935**	**1900**	**1850**

न्यूनतम वाष्पयंत्र दक्षता (Min. Boiler Efficiency)					
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
बिटूमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दर (Max Design Unit Heat Rate) (किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर)					
सब–बिटूमिनस भारतीय कोयला	2300	2294	2276	2235	2176
बिटूमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2079

परन्तु यह भी कि यदि किसी इकाई के दबाव तथा तापमान मानदण्ड उपरोक्त दर्शाई गई गुणवत्ता श्रेणी से भिन्न हो तो ऐसी दशा में निकटतम श्रेणी की अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दर ली जाएगी;

परन्तु यह भी कि जहां इकाई ऊष्मा दर प्रत्याभूत नहीं की गई है परन्तु टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता उसी सामग्री प्रदायकर्ता अथवा भिन्न–भिन्न सामग्री प्रदायकर्ताओं द्वारा पृथक–पृथक से प्रत्याभूत की गई हो तो ऐसी दशा में इकाई रूपांकित ऊष्मा दर की गणना प्रत्याभूत टरबाईन चक्र ऊष्मा दर तथा वाष्पयंत्र दक्षता के प्रयोग द्वारा की जाएगी;

परन्तु यह भी कि यदि एक या इससे अधिक इकाईयां दिनांक 1.4.2012 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित की गई हों तो ऐसी दशा में उन इकाईयों हेतु तथा इनके साथ–साथ दिनांक 1.4.2012 को तथा उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित ऊष्मा दर मानदण्ड जिनकी गणना उपरोक्त विधि द्वारा तथा विनियम 35 के अनुसार की जाएगी व इनमें से जो भी कम हो, मानी जाएगी।

टीप : ऐसी इकाईयों के संबंध में जहां वाष्पयंत्र पोषित पम्प विद्युत चालित हों, उनमें अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दर टरबाईन–चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प हेतु विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम रूपांकित इकाई ऊष्मा दर से प्राप्त गणना से 40 किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर कम होगी।

(स) आपेक्षित ईधन तेल खपत (Specific Fuel Oil Consumption)

कोयला आधारित विद्युत उत्पादक स्टेशन : 1.00 मि.लीटर/किलोवाट ऑवर

(द) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption)

स.क्र.	पावर स्टेशन	मय नैसर्गिक ड्राफ्ट शीतलीकरण के या शीतलीकरण टॉवर के बगैर
(1)	200 मेगावाट श्रृंखला (Series)	8.5%
(2)	500 मेगावाट तथा इससे अधिक	
	वाष्प चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	6.0%
	विद्युत चालित वाष्पयंत्र पोषित पम्प	8.5%
(3)	45 मेगावाट श्रृंखला (Series)	10%

परन्तु यह भी कि ड्राफ्ट उत्सर्जित शीतलीकरण टावर (Induced draft Cooling Tower) वाले ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु मानदण्डों में 0.5 प्रतिशत में अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी।

36. एमपीपीजीसीएल के सहित ताप विद्युत स्टेशनों के प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses of Thermal Power Stations including MPPGCL's)

36.1 विद्यमान ताप विद्युत स्टेशनों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत। इन मानदण्डों में पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits), कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन व बकाया राशि (arrears), शासन को भुगतान योग्य कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं हैं। विद्युत उत्पादक कम्पनी शासन को देय दर (rate), भाड़ा (rent), शासन को देय कर (taxes), रसायनों (Chemicals) तथा उपभोज्य सामग्रियों (Consumables) की लागत तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा पृथक से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं को विनियम 26.5 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

ताप विद्युत उत्पादक इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड

रूपये लाख प्रति मेगावाट में			
यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 13–14	वित्तीय वर्ष 14–15	वित्तीय वर्ष 15–16
62.5	21.62	23.33	25.18
120	26.71	28.83	31.11
200/210/250	18.19	19.63	21.19
500	13.71	14.80	15.97

परन्तु यह कि अतिरिक्त इकाईयों हेतु उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्डों को निम्न कारकों से गुणा किया जाएगा जिनमें उक्त स्टेशन हेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि उन इकाईयों की तत्संबंधी इकाई आकारों हेतु दिनांक 1.4.2012 को अथवा तत्पश्चात् घटित हो :

200/210/250 मेगावाट	अतिरिक्त पांचवी तथा छठी इकाईयां अतिरिक्त सातवी तथा और अधिक इकाईयां	0.90 0.85
300/330/350 मेगावाट	अतिरिक्त चौथी तथा पांचवी इकाईयां अतिरिक्त छठी तथा और अधिक इकाईयां	0.90 0.85
500 मेगावाट तथा उससे अधिक	अतिरिक्त तीसरी तथा चौथी इकाईयां अतिरिक्त पांचवी तथा और अधिक इकाईयां	0.90 0.85

दिनांक 01.04.2012 या उसके बाद क्रियाशील किये गये नवीन ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड (O&M Norms) :

रूपये लाख प्रति मेगावाट में			
यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 13–14	वित्तीय वर्ष 14–15	वित्तीय वर्ष 15–16
45	25.90	27.96	30.17
200/210/250	18.42	19.90	21.46
500	13.80	14.90	16.08
600 तथा उससे अधिक	12.95	13.98	15.09

36.2 कोयला आधारित अथवा लिग्नाईट प्रज्जवलित ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशनों हेतु पूंजीगत प्रकार (capital nature) की परिसंपत्तियों हेतु उन्हें सम्मिलित करते हुए जो लघु प्रकार की हों, इकाईवार पृथक क्षतिपूर्ति रियायत निम्न विधि अनुसार उक्त वर्ष से जब उनके द्वारा 10, 15 अथवा 20 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल पूर्ण कर लिया गया हो, अनुज्ञेय की जाएगी :

प्रचालन वर्षों की संख्या	क्षतिपूर्ति रियायत (₹ लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष में)
0-10	निरंक
11-15	0.19
16-20	0.44
21-25	0.84

37. कार्यकारी पूंजी (Working Capital) :

37.1 कोयला आधारित विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्न लागतें शामिल होंगी :

(i) कोयले की 45 दिवस की आवश्यकता के बराबर लागत जिनके उत्पादक स्टेशन खदान मुख (पिट–हैड) पर स्थित हैं तथा कोयले की दो माह की आवश्यकता के बराबर लागत जिनके उत्पादक स्टेशन खदान मुख पर स्थित नहीं हैं जो मानदण्डीय उपलब्धता (normative availability) के तत्संबधी होंगी;

(ii) द्वितीयक (सेकेंडरी) ईंधन खनिज तेल की दो माह की आवश्यकता के बराबर लागत, जो मानदण्डीय उपलब्धि के तत्संबंधी होगी :

परन्तु यह कि एक से अधिक द्वितीयक ईंधन खनिज तेल के प्रकरण में, ईंधन खनिज तेल भण्डार की लागत मुख्य द्वितीयक ईंधन खनिज तेल हेतु प्रदान की जाएगी ।

(iii) संधारण कलपुर्जे, मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 20 प्रतिशत की दर से;

(iv) दो माह की विद्युत के विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियां, जिनकी गणना मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के आधार पर की जाएगी; तथा

(v) एक माह के बराबर प्रचालन तथा संधारण व्यय

37.2 ईंधन की लागत विद्युत उत्पादक कम्पनियों द्वारा गणनानुसार व्यय की गई आगमित लागत (landed cost) {मानदण्डीय आवागमन (normative transit) तथा हस्तालन हानियों (handling losses) पर विचार करते हुए} तथा पिछले 3 माह के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईंधन के सकल उष्मित मान (Gross Calorific Value) पर आधारित होगी तथा टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी ।

38. द्वितीयक ईंधन खनिज तेल पर व्यय (Expenses on Secondary Fuel Oil Consumption) :

38.1 द्वितीयक ईंधन खनिज–तेल पर व्ययों की गणना रूपयों में, जो विनियम 35 में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत से तत्संबंधी होगी, निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगीः

= SFC x LPSFi x NAPAF x 24 x NDY x 1C x 10

जहां,

SFC – मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज–तेल खपत मि. लीटर/किलोवॉट ऑवर में

LPSFi – द्वितीयक ईंधन का भारित औसत आगमित मूल्य रूपये प्रति मि. लीटर में, जिसे प्रारंभिक माना जावेगा ।

NAPAF – मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता, प्रतिशत में

NDY – एक वर्ष में दिवस संख्या

IC – स्थापित क्षमता, मेगावाट में

38.2 प्रारंभिक तौर पर, विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा द्वितीयक ईंधन तेल पर व्यय की गई आगमित लागत (landed cost), पिछले तीन माह की भारित औसत लागत के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगी तथा पिछले तीन माह की आगमित लागत के अभाव में, यह उत्पादक स्टेशन हेतु वर्ष के प्रारंभ से पूर्व का अंतिम अधिप्राप्ति मूल्य (Procurement Price) होगी।

टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में, द्वितीयक ईंधन खनिज–तेल व्यय ईंधन मूल्य समायोजन के अध्यधीन निम्न सूत्र के अनुसार होंगे;

SFC x NAPAF x 24 x NDY x 1C x 10 X (LPSFy-LPSFi)

जहां,

LPSFy - द्वितीयक ईंधन खनिज तेल का वर्ष हेतु भारित औसत आगमित मूल्य रू/मि. लीटर में

39. राज्य भार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा पारेषण प्रभार (SLDC/RLDC/NLDC and Transmission Charges) :

39.1 आयोग द्वारा अवधारित किये गये राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों को व्यय माना जाएगा यदि वे उत्पादक स्टेशन द्वारा भुगतान योग्य हों ।

39.2 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार, जैसा कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अवधारित किये गये हों, को भी व्यय माना जाएगा, यदि ये विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा भुगतान योग्य हों।

40. वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली {Recovery of Annual Capacity (fixed) Charges} :

40.1 स्थाई प्रभारों की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार होगी तथा इनकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभारों के अन्तर्गत की जाएगी। किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा भुगतान–योग्य कुल क्षमता प्रभारों को उसके हितग्राहियों द्वारा उनके प्रतिशत अंशदान/उत्पादक स्टेशन की क्षमता के आवंटन के आधार पर परस्पर बांटा जाएगा ।

40.2 किसी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशन को एक कलेण्डर माह हेतु भुगतान योग्य क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) की गणना निम्न सूत्रों के अनुसार की जाएगी :

(i) ऐसे विद्युत उत्पादक स्टेशन जो दस (10) वर्षों से कम अवधि के अंतर्गत, किसी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को वाणिज्यिक प्रचालन में है :

(AFCXNDM/NDY) X (0.5 + 0.5 X PAFM/NAPAF) (रूपयों में) :

परन्तु, ऐसे प्रकरण में जहां वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFY) 70 प्रतिशत से कम हो, वर्ष हेतु कुल स्थाई प्रभार निम्न दर्शाए सूत्र के अनुसार सीमित होगा :

AFC X (0.5 + 35/NAPAF) X (PAFY/70) (रूपयों में)

(ii) ऐसे विद्युत उत्पादक स्टेशन जो दस (10) वर्षों से अथवा इससे अधिक अवधि से वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में वाणिज्यिक प्रचालन में हैं :

(AFC X NDM/NDY) X (PAFM/NAPAF) (रूपयों में)

जहां,

AFC – वर्ष हेतु गणना किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार, रूपयों में

NDM – एक माह में दिवस संख्या

NDY – एक वर्ष में दिवस संख्या

PAFY – एक वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

NAPAF – मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

PAFM – माह के दौरान निष्पादित किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

40.3 पूर्ण क्षमता प्रभार विनियम 35 में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के अनुसार वसूली योग्य होंगे । मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के स्तर से कम क्षमता प्रभारों की वसूली आनुपातिक आधार पर की जाएगी । शून्य उपलब्धता पर, क्षमता प्रभार देय न होंगे ।

40.4 माह के दौरान निष्पादित किये गये संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFM) तथा वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFY) की गणना निम्न सूत्रों के अनुसार की जाएगीः

$$\text{PAFM अथवा PAFY} = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi / \{ N \times IC \times (100 - AUX) \} \%$$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

DCi = औसत घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावॉट में), नीचे दर्शाए विनियम 40.5 के अध्यधीन, अवधि के दौरान i वें दिन हेतु, अर्थात् माह अथवा वर्ष, जैसा प्रकरण में लागू हो, जैसा कि इसे संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति उपरांत प्रमाणित किया गया हो

IC = उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = अवधि के दौरान दिवसों की संख्या, अर्थात माह अथवा वर्ष हेतु, जैसा कि प्रकरण में लागू हो

टीप : DCi तथा IC में उन उत्पादक इकाईयों जिन्हें वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित नहीं किया गया है, की क्षमता सम्मिलित नहीं की जाएगी। संबंधित अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में परिवर्तन होने की दशा में, उसका औसत मान प्रयुक्त किया जाएगा ।

40.5 किसी ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में ईंधन की कमी पाये जाने पर, विद्युत उत्पादक कम्पनी शीर्ष–भार अवधि के दौरान उच्चतर मेगावाट प्रदाय किया जाना शीर्ष अवधि (Peak hours) के दौरान ईंधन की बचत द्वारा प्रस्तावित कर सकेगी । संबंधित भार प्रेषण केन्द्र, तत्पश्चात उत्पादक स्टेशन हेतु हितग्राहियों से विचार–विमर्श द्वारा मेगावाट तथा ऊर्जा क्षमता के

अनुकूलतम उपयोग हेतु व्यावहारिक दिवस पूर्व अनुसूची निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में DCi को संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उक्त दिवस हेतु विनिर्दिष्ट अधिकतम शीर्ष–अवधि एक्स विद्युत संयंत्र (power plant) मेगावाट अनुसूची के बराबर लिया जाएगा ।

40.6 क्षमता प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर आवंटित/संविदाकृत क्षमता के अनुपात में किया जाएगा ।

41. ऊर्जा प्रभार (परिवर्तनीय प्रभार) {Energy Charges (Variable Charges)}:

41.1 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में मुख्य ईंधन लागतें शामिल होंगी तथा ये एक्स–विद्युत संयंत्र आधार पर एक कलेण्डर माह के दौरान एक ऐसे हितग्राही को प्रदाय की जाने वाली कुल अनुसूचित की गई ऊर्जा पर विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय प्रभार दर [ईंधन मूल्य समायोजन (FPA) के साथ] के अनुसार भुगतान योग्य होंगी ।

41.2 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों, का अवधारण रूपये प्रति किलोवॉट ऑवर में एक्स–विद्युत संयंत्र आधार पर, तीन दशमलव स्थानों तक निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा :

(i) कोयला प्रज्जवलित स्टेशनों हेतु

ECR = (GHR - SFC X CVSF) X LPPF X 100/ {CVPF X (100 - AU X) }

जहां,

AUX - मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

ECR - प्रेषित की गई (sent out) ऊर्जा प्रभार दर, प्रेषित रूपये प्रति किलो वॉट ऑवर

GHR - मानदण्डीय सकल स्टेशन ऊष्मा दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवॉट ऑवर में

SFC - मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज–तेल खपत, मि. लीटर/किलोवॉट ऑवर में

CVSF - द्वितीयक ईंधन का उष्मित मान किलो लीटर/मि. लीटर में

LPPF - प्राथमिक ईंधन का भारित औसत आगमित मूल्य (Landed price), रूपये प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर अथवा प्रति मानक घन मीटर में, जैसा कि वह माह के दौरान प्रयोज्य हों

CVPF - प्रज्जवलित किया गया प्राथमिक ईंधन का सकल उष्मित मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति लीटर अथवा प्रति मानक घन मीटर में,

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा सकल उष्मित मान (GCV) के मानदण्डीय विवरण तथा ईंधन अर्थात घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला (e-auction coal), तरल ईंधन आदि की कीमत, घरेलू कोयले के आयातित कोयले के साथ मिश्रण का अनुपात (blending ratio) ई–नीलामी कोयले का अनुपात, हितग्राहियों को बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों में अंतर संबंधी विवरण तथा तत्संबंधी माह के देयकों के देयक के विवरण प्रदान किये जाएंगे।

परन्तु यह भी कि देयकों की एक प्रति तथा वास्तविक सकल उष्मित मान (GCV) तथा ईंधन अर्थात घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला (e-auction coal), तरल ईंधन आदि की कीमत, घरेलू कोयले के आयातित कोयले के साथ मिश्रण का अनुपात (blending ratio), ई–नीलामी कोयले का अनुपात, विद्युत उत्पादक कम्पनी की वैबसाईट पर भी प्रदर्शित किये जाएंगे। उपरोक्त विवरण कम्पनी के वैबसाईट पर तीन माह की अवधि हेतु मासिक आधार पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

41.3 माह हेतु परिवर्तनीय प्रभार की गणना निगिमित की जाने वाली एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा के आधार पर निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

मासिक ऊर्जा प्रभार (रूपयों में) =

परिवर्तनीय प्रभार दर (रूपये/किलोवाट ऑवर में) X माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस) किलोवॉट ऑवर में, जो अनुसूचित उत्पादन से तत्संबंधी है ।

41.4 **कोयले की आगमित लागत (Landed cost of Coal):**

कोयले की आगमित लागत में कोयले का मूल्य, जो कोयले की श्रेणी तथा गुणवत्ता से तत्संबंधी है, जिसके अन्तर्गत प्रयोज्य स्वत्व शुल्क (Royalty), कर तथा अभिकर (duty), रेल/सड़क अथवा अन्य किसी साधन से परिवहन लागत, तथा ऊर्जा प्रभारों की गणना के प्रयोजन से मानदण्डीय परिवहन तथा हस्तालन (Transit and Handling) हानियां, कोयला प्रदाय कम्पनी द्वारा माह के दौरान प्रेषित की गई कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में सम्मिलित होगी, की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

खदान मुख (Pit Head) विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु : 0.2 प्रतिशत की दर से

गैर–खदान मुख (Non Pit Head) विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु : 0.8 प्रतिशत की दर से

उपरोक्त उपबंध के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऊर्जा प्रभारों की गणना हेतु कोयले की मात्रा जैसा कि इसे कोल कम्पनी द्वारा संप्रेषित किया गया हो, के संबंध में केवल अनुज्ञेय परिवहन तथा हस्तालन हानियों (Permissible Transit snd Handling losses) की गणना के उपरांत ही विचार में लिया जाएगा।

41.5 अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चचाई की 2X120 मेगावाट पीएच–1 इकाई को खदान मुख (Pit Head) विद्युत उत्पादक इकाई माना जाएगा जबकि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचाई की 1X210 मेगावाट पीएच–3 इकाई को गैर–खदान मुख (Non-Pit Head) विद्युत उत्पादक इकाई, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) द्वारा सूचित उसके कोयला संबंधी जुड़ाव (Linkage) के आधार पर माना जाएगा। कोयले के जुड़ाव में किसी परिवर्तन होने की दशा में, एमपीपीजीसीएल आयोग को समुचित आदेश बाबत् अवगत करायेगी।

42. विद्युत शुल्क, उपकर तथा जल प्रभार (Electricity Duty, Cess and Water Charges)

विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत उत्पादन के प्रयोजन हेतु विद्युत शुल्क तथा उपकर एवं जल प्रभार, यदि भुगतान योग्य हो, तो इन्हें आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया जा सकेगा तथा इसका सत्यापन ताप विद्युत स्टेशनों हेतु वास्तविक भुगतान के आधार पर किया जाएगा।

43. प्रोत्साहन (Incentive) :

43.1 ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में, प्रोत्साहन वसूल की गई क्षमता (स्थाई) प्रभारों का भाग होगा । इस हेतु किसी प्रकार का पृथक प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा ।

44. असूचीबद्ध विनिमय प्रभार {Unscheduled Interchange (UI) charges}

44.1 विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु वास्तविक शुद्ध अन्तःक्षेप (Injection) तथा अनुसूचित शुद्ध अन्तःक्षेप के मध्य समस्त अन्तरों को तथा हितग्राहियों हेतु वास्तविक शुद्ध आहरण तथा अनुसूचित शुद्ध आहरण के मध्य समस्त अन्तरों को तत्संबंधी असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) माना जाएगा । आयोग द्वारा समस्त असूचीबद्ध विनिमयों को समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये विनियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा ।

45. अनुसूचीकरण (Scheduling):

45.1 अनुसूचीकरण एवं उपलब्धता की पद्धति का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

46. मापयंत्रण पद्धति एवं लेखांकन (Metering and Accounting):

46.1 मापयन्त्रण व्यवस्थाएं, मय इनका अधिष्ठापन, परीक्षण एवं प्रचालन व संधारण तथा ऊर्जा विनिमयन व 15 मिनट कालखण्ड संबंधी औसत आवृत्ति के लेखे–जोखे की आवश्यकता बाबत आंकडों के संग्रहण, परिवहन एवं उपचारण की व्यवस्था राज्य पारेषण इकाई तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की जाएगी। समस्त संबंधित इकाईयां (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मापयन्त्र अधिष्ठापित हैं) राज्य पारेषण इकाई/राज्य भार प्रेषण केन्द्र से पूर्णरूपेण सहयोग करेंगी तथा साप्ताहिक मापयन्त्र वाचन हेतु राज्यभार प्रेषण केन्द्र को संप्रेषण में आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेंगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऊर्जा संबंधी लेखे मासिक आधार पर तथा असूचीबद्ध विनिमय (यूआई) प्रभार संबंधी लेखे साप्ताहिक आधार पर जारी करेगा । यू.आई लेखा प्रक्रिया का नियंत्रण आयोग द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत होगा।

47. क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग तथा भुगतान (Billing and Payment of Capacity Charges and Energy Charges) :

47.1 विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु देयक (बिल) मासिक आधार पर इन विनियमों के अनुसार प्रस्तुत किये जाएंगे तथा हितग्राहियों द्वारा प्रयोज्य भुगतान सीधे उत्पादक कम्पनी को किये जाएंगे ।

47.2 किसी ताप–विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में, क्षमता प्रभारों का भुगतान उत्पादक स्टेशन के हितग्राहियों द्वारा कतिपय माह हेतु उनकी स्थापित क्षमता में उनके प्रतिशत अंशदान के अनुसार (अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित करते हुए) परस्पर बांटा जाएगा। किसी जल–विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में विक्रय–योग्य क्षमता (saleable capacity) (जिसका अवधारण उनके गृह राज्य को निशुल्क ऊर्जा के तत्संबंधी क्षमता को घटाने के पश्चात किया जाएगा) उनके अंशदान के अनुपात में (अनावंटित क्षमता में किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर) निम्न दर्शाई गई टीप 3 के अनुसार किया जाएगा ।

टीप 1 : राज्य उत्पादक स्टेशनों की कुल क्षमता में प्रत्येक हितग्राही के अंशदान/आवंटन का अवधारण राज्य शासन द्वारा अनावंटित क्षमता में से किये गये किसी आवंटन को सम्मिलित कर किया जाएगा। ये अंशदान स्टेशन क्षमता के प्रतिशत के रूप में प्रयोज्य होंगे तथा किसी माह के दौरान स्थिर रहेंगे । किसी हितग्राही का कुल क्षमता अंशदान, उसका क्षमता अंशदान तथा अनांविटत भाग में से किये गये किसी आवंटन का योग होगा । राज्य शासन द्वारा अनावंटित ऊर्जा में से की गई किसी विशिष्ट आवंटन की अनुपस्थिति में, अनावंटित ऊर्जा को आवंटित क्षमता में आवंटित अंशदान के अनुपात के अनुरूप जोड़ दिया जाएगा ।

टीप 2 : हितग्राही उनके आवंटित स्थाई (Firm) अंशदान के एक अंश को अन्य हितग्राहियों को समर्पित किया जाना प्रस्तावित कर सकेंगे । ऐसे प्रकरणों में, हितग्राहियों के अंशदान प्रत्याशित रूप से राज्य शासन द्वारा किसी कलेण्डर माह के प्रारम्भ से पुनर्आवंटित किये जा सकेंगे । जब भी इस प्रकार के पुनर्आवंटन किये जाते हैं, तो हितग्राही जो अपने अंशदान को समर्पित करते हैं, उन्हें समर्पित किये गये अंशदान हेतु क्षमता प्रभारों के भुगतान की बाध्यता नहीं होगी । उपरोक्तानुसार समर्पित की गई तथा पुनर्आवंटित की गई क्षमता हेतु क्षमता प्रभारों का भुगतान उस राज्य द्वारा किया जाएगा, जिसे समर्पित क्षमता आवंटित की जाती है । उपरोक्तानुसार क्षमता के पुनर्आवंटन की अवधि को छोड़कर, उत्पादक स्टेशन के हितग्राहियों द्वारा पूर्ण क्षमता प्रभारों का भुगतान अंशदान की आवंटित क्षमता के अनुसार जारी रखा जाएगा ।

टीप 3 : FEHS = गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा (Free Energy for Home State-FEHS), को प्रतिशत के रूप में 12 प्रतिशत माना जाएगा (यह एमपीपीजीसीएल के विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु लागू नहीं होगा) :

परन्तु ऐसे प्रकरणों में जहां किसी जल विद्युत परियोजना का कार्यस्थल किसी विकासक (जो राज्य द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली कम्पनी नहीं होगी) को बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाता है वहां निःशुल्क ऊर्जा 13 प्रतिशत मानी जाएगी जिसमें विद्युत की 100 यूनिटों के तत्संबंधी ऊर्जा भी सम्मिलित होगी जो परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत उत्पादक स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से प्रदान की जाएगी।

अध्याय–चार

जल विद्युत उत्पादक स्टेशन : (Hydro Power Generating Stations) :

48. टैरिफ के घटक (Components of Tariff):

48.1 किसी जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन से उत्पादित विद्युत प्रदाय संबंधी टैरिफ में क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार का समावेश होगा जिसे दो प्रभारों के माध्यम से वार्षिक स्थाई लागत {जिसमें विनियम 34.2 के अंतर्गत क्रमांक (ए) से (एफ) तक के घटक तत्व सम्मिलित हैं} की वसूली बाबत् विनियम 53 में विनिर्दिष्ट विधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

49. प्रचालन के मानदण्ड (Norms of Operation):

49.1 (1) जल–विद्युत ऊर्जा स्टेशन हेतु प्रचालन के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :

(अ) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normative Annual Plant Availability Factor - NAPAF) :

(i) जल संग्रहण (Storage) तथा जलाशय (Pondage) प्रकार के संयंत्र जिनका शीर्ष अन्तर पूर्ण जलाशय स्तर (Full Reservoir level) तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट के स्तर (Minumum Draw Down Level - MDDL) में अन्तर 8 प्रतिशत तक का हो, तथा जहां संयंत्र उपलब्धता गाद (Silt) से प्रभावित न हो : 90 प्रतिशत

(ii) जल संग्रहण तथा जलाशय प्रकार के संयंत्र जिनका शीर्ष अन्तर पूर्ण जलाशय स्तर (Full Reservoir level) तथा जलाशय में न्यूनतम गिरावट के स्तर (Minumum Draw Down Level-MDDL) में अन्तर 8 प्रतिशत से अधिक हो व जहां संयंत्र उपलब्धता गाद से प्रभावित न हो: मेगावॉट उत्पादन योग्यता में कमी बाबत् मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक में संयंत्र–विशिष्ट छूट (Allowance) प्रदान की जाएगी, क्योंकि जलाशय के स्तर में निरन्तर कमी होती है । सामान्य मार्गदर्शन बतौर इसके कारण गुणांक कारक के रूप में छूट की गणना शुद्व शीर्ष (Head) की वार्षिक औसत के प्रक्षेपण द्वारा निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

{औसत शीर्ष (Average Head) / निर्धारित शीर्ष (Rated Head)} + 0.02

वैकल्पिक तौर पर, इस प्रकार के प्रक्षेपण में कठिनाई होने पर, गुणांक कारक का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :

{जलाशय में न्यूनतम गिरावट के स्तर (MDDL) पर शीर्ष / निर्धारित शीर्ष} x 0.5 + 0.52

(iii) जलाशय (Pondage) प्रकार के संयन्त्र, जहां संयन्त्र की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से गाद (Silt) द्वारा प्रभावित होती है : 85%

(iv) नदी–बहाव प्रकार के संयंत्र (Run-of-River Type Plants) : मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) का अवधारण संयंत्रवार किया जाएगा जो दस–दिवस रूपांकन ऊर्जा आंकड़े पर आधारित होगा जिसे पूर्व के अनुभव के आधार पर, उसकी उपलब्धता/युक्तियुक्त होने की दशा में, संयत (moderated) किया जाएगा।

(ब) आयोग द्वारा मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के अवधारण में और छूट (allowance) प्रदान की जा सकेगी, उदाहरण के तौर पर, असामान्य गाद की समस्या अथवा अन्य प्रचालन शर्तें तथा संयंत्र की विदित परिसीमाएं।

(2) नवीन जल–विद्युत परियोजना के प्रकरण में, विकासक के पास आयोग को मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के निर्धारण हेतु अग्रिम रूप से इस विनियम की उपकण्डिका 1(अ) तथा 1(ब) में दर्शाये गये सिद्वान्तों के आधार पर सम्पर्क करने का विकल्प भी विद्यमान होगा।

(3) उपरोक्त कण्डिकाओं के आधार पर, क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु वर्तमान में प्रचालित किये जा रहे जल–विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) निम्नानुसार होंगे :–

स्टेशन	संयंत्र का प्रकार	संयंत्र क्षमता (मेगावाट में)	मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF)
गांधी नगर	संग्रहण (Storage)	57.5	85%
पेंच	संग्रहण (Storage)	106.7	85%
राजघाट	संग्रहण (Storage)	22.5	85%
बरगी	संग्रहण (Storage)	90.0	85%
बाणसागर संकुल (सिलपारा को छोड़कर)	संग्रहण (Storage)	395.0	85%
सिलपारा	नदी बहाव आधारित मय जलाशय	30.0	90%
बिरसिंहपुर	संग्रहण (Storage)	20.0	85%
जवाहर सागर	संग्रहण (Storage)	49.5	85%
राणा प्रताप सागर	संग्रहण (Storage)	86.0	85%
मढ़ीखेड़ा	संग्रहण (Storage)	60.0	85%
सरदार सरोवर	संग्रहण (Storage)	1450.0	85%

(4) सहायक ऊर्जा खपत :

(ए) सतह पर स्थापित जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर रोटेटिंग एक्साईटर स्थापित है: – उत्पादित ऊर्जा का 0.7 प्रतिशत

(बी) सतह पर स्थापित जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन जिसमें स्थिर एक्साईटेशन प्रणाली स्थापित है: – उत्पादित ऊर्जा का 1 प्रतिशत

(सी) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर रोटेटिंग एक्साईटर स्थापित है: – उत्पादित ऊर्जा का 0.9 प्रतिशत

(डी) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन जिनमें स्थिर एक्साइटेशन प्रणाली स्थापित है: – उत्पादित ऊर्जा का 1.2 प्रतिशत

50. जल विद्युत ऊर्जा स्टेशनों का प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses of Hydel Power Station)

51.1 विद्यमान जल विद्युत स्टेशतों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में शामिल होंगे, कर्मचारी लागत (employee expenses), मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत। इन मानदण्डों में कर्मचारियों को देय पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं, प्रोत्साहन, बकाया राशि (Arrears) का भुगतान, शासन को देय कर तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क (Fees) शामिल नहीं हैं। विद्युत उत्पादक कम्पनी शासन को देय दर, भाड़ा तथा करों की राशि रसायनों तथा उपभोग्य सामग्रियों का मूल्य, मप्रविनिआ को देय शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं संबंधी दावों को विनियम 26.5 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

जल–विद्युत ऊर्जा स्टेशनों के प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड

वर्ष	प्रचालन तथा संधारण व्यय ₹ लाख प्रति मेगावाट में
वित्तीय वर्ष 2013–14	11.23
वित्तीय वर्ष 2014–15	12.12
वित्तीय वर्ष 2015–16	13.09

50.2 दिनांक 1.4.2013 से अथवा उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किये जाने वाले जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरणों में आधार प्रचालन तथा संधारण व्यय (बोनस, पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं को सम्मिलित कर) आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये वास्तविक पूंजीगत लागत के 1.5 प्रतिशत अनुसार पृथककरण तिथि तक (पुनर्वास तथा पुनर्व्यस्थापन की लागत को सम्मिलित न करते हुए) निर्धारित किये जाएंगे तथा ये अनुवर्ती वर्षों हेतु 7.93 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि के अध्यधीन होंगे।

51. कार्यकारी पूंजी (Working Capital):

51.1 कार्यकारी पूंजी में निम्न व्यय सम्मिलित होंगेः

(i) संधारण कलपुर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से;

(ii) दो माह की स्थाई लागत के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियों की लागतें; तथा

(iii) एक माह के प्रचालन तथा संधारण व्यय।

52. राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार/राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं पारेषण प्रभार (SLDC/RLDC/NLDC and Transmission Charges):

52.1 आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों तथा पारेषण प्रभारों को, इनका भुगतान उत्पादन स्टेशनों द्वारा किये जाने की दशा में, इन्हें व्यय में सम्मिलित माना जाएगा।

52.2 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र/राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रभार, जैसा कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अवधारित किये जाएं, को भी व्यय माना जाएगा, यदि ये विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा देय हों।

53. जल–विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की गणना तथा भुगतान (Computation and payment of Capacity charges and Energy Charges for Hydro Generating Stations):

53.1 किसी जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन की वार्षिक स्थाई लागत की गणना इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर की जाएगी तथा इसकी वसूली मासिक आधार पर क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित कर) तथा ऊर्जा प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी जिसका भुगतान हितग्राहियों द्वारा उत्पादन स्टेशन की विक्रय योग्य क्षमता में उनके तत्संबंधी आवंटन के अनुपात में किया जाएगा अर्थात्, क्षमता अनुसार गृह राज्य को निशुल्क विद्युत को छोड़कर :

परन्तु उत्पादक स्टेशन की प्रथम इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तथा उत्पादक स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की मध्य की अवधि के दौरान वार्षिक लागत की गणना उत्पादक स्टेशन के अद्यतन कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी लागत के आधार पर अनन्तिम रुप से की जाएगी, जिससे क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार भुगतान का अवधारण उक्त अवधि हेतु किया जा सके।

53.2 किसी कलेण्डर माह हेतु किसी जल विद्युत स्टेशन को भुगतान योग्य क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को जोड़कर) निम्नानुसार होंगे :

AFCX0.5XNDM/NDYX(PAFM/NAPAF) (₹ में)

जहां,

AFC = वर्ष हेतु वार्षिक स्थाई लागत, ₹ में

NAPAF = मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

NDM = माह के दौरान दिवस संख्या

NDY = वर्ष के दौरान दिवस संख्या

PAFM = माह के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

53.3 मासिक संयंत्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PAFM = 1000 \sum_{i=1}^{i=N} DCi/\{NXICX(100-AUX)\}\%$$

जहां

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

DCi = माह के i वें दिवस हेतु घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावाट में) जो स्टेशन न्यूनतम 3 घंटे की अवधि में प्रदान करने में सक्षम हो जैसे कि इसे समन्वयन (Nodal) भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति पर सत्यापित किया जाए

IC = सम्पूर्ण उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = माह के दौरान दिवस संख्या

53.4 ऊर्जा प्रभार का भुगतान प्रत्येक हितग्राही द्वारा, माह के दौरान कुल अनुसूचित प्रदाय योग्य ऊर्जा हेतु, निशुल्क ऊर्जा को घटाकर, यदि कोई हो, एक्स पावर संयंत्र आधार पर, गणना की गई ऊर्जा दर पर किया जाएगा। उत्पादक कम्पनी को माह के दौरान भुगतान योग्य ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होंगे :

(ऊर्जा प्रभार दर ₹ प्रति किलोवाट ऑवर में) X (माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस) किलोवॉट ऑवर में) X (100-FEHS)/100

53.5 किसी जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु ऊर्जा प्रभार दर (Energy Charge Rate - ECR) का अवधारण ₹ प्रति किलोवाट ऑवर में, एक्स पॉवर प्लांट आधार पर तीन दशमलव बिन्दुओं तक निम्न सूत्र के आधार पर विनियम 53.7 के उपबंधों के अध्यधीन, किया जाएगाः

ECR = AFC X 0.5 X 10/ {DE X (100-AUX) X (100-FEHS)}

जहां,

DE = जल विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु वार्षिक रूपांकित ऊर्जा, मेगावाट ऑवर में, निम्न दर्शाये विनियम 53.6 के उपबंधों के अध्यधीन होगी

FEHS = गृह राज्य हेतु निशुल्क ऊर्जा, प्रतिशत में, जैसा कि इसे विनियम 47 में परिभाषित किया गया है

53.6 यदि किसी जल विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक कुल ऊर्जा रूपांकित ऊर्जा से कम हो जो विद्युत उत्पादक कम्पनी के नियंत्रण से बाहर कतिपय कारणों से हो तो ऐसी दशा में प्रक्रम आधार पर (Rolling Basis) निम्न उपचारण किया जाएगा :

(i) यदि ऊर्जा में कमी, उत्पादक स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 10 वर्षों के भीतर घटित हो, तो ऐसी दशा में ऊर्जा में कमी वाले वर्ष के बाद के वर्ष हेतु वार्षिक रूपांकित

ऊर्जा की गणना विनियम 53.5 में विनिर्दिष्ट सूत्र के आधार पर की जाएगी, इस संशोधन के साथ कि ऊर्जा में कमी वाले वर्ष के बाद के वर्ष हेतु वास्तविक उत्पादित ऊर्जा के बराबर माना जाएगा, जब तक ऊर्जा प्रभार में पूर्व वर्ष की कमी की क्षतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, जिसके उपरान्त सामान्य ऊर्जा प्रभार दर (ECR) प्रयोज्य होगी;

(ii) यदि किसी उत्पादक स्टेशन की ऊर्जा में कमी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 10 वर्ष के बाद घटित हो तो निम्न विधि अपनाई जाएगी :

माना कि स्टेशन हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक रूपांकित ऊर्जा DE मेगावाट ऑवर है तथा संबंधित (प्रथम) तथा उत्तरवर्ती (द्वितीय) वित्तीय वर्षों हेतु क्रमशः A1 तथा A2 मेगावाट ऑवर हो, जिसमें A1 की मात्रा डिजाईन एनर्जी (DE) से कम है। अतएव, रूपांकित ऊर्जा, जिस पर इस विनियम की कण्डिका 53.5 में दर्शाये गये सूत्र के अनुसार तृतीय वित्तीय वर्ष हेतु ऊर्जा प्रभार दर (ECR) की गणना हेतु विचार किया जाएगा, इसे (A1 + A2 - DE) मेगावाट ऑवर के अनुसार संयत (Moderate) किया जाएगा, जो अधिकतम DE मेगावाट ऑवर तथा न्यूनतम A1 मेगावाट ऑवर के अध्यधीन होगा ।

(iii) वास्तविक उत्पादित ऊर्जा (उदाहरणः A1, A2) की गणना स्टेशन से शुद्ध पारेषित ऊर्जा को 100 / (100–AUX) के गुणनफल द्वारा की जाएगी।

53.7 यदि किसी जल–विद्युत स्टेशन हेतु ऊर्जा प्रभार दर (ECR) जैसा कि इसकी गणना उपरोक्त कण्डिका 53.5 में की गई है, 80 पैसे प्रति किलोवाट से अधिक हो तथा वर्ष के दौरान वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा {DE X (100-AUX) x (100-FEHS)/1000} मेगावाट ऑवर से अधिक हो तो ऊर्जा हेतु ऊर्जा प्रभार की गणना उपरोक्त से अधिक हेतु, केवल 80 पैसे प्रति किलोवॉट ऑवर की दर से की जाएगी :

> परन्तु किसी वर्ष के दौरान ऐसे वर्ष के बाद जब कुल उत्पादित ऊर्जा रूपांकित ऊर्जा से कम हो, जो उत्पादक कम्पनी के नियंत्रण से बाहर कतिपय कारणों से हो, तो ऐसी दशा में ऊर्जा प्रभार दर को 80 पैसे प्रति किलोवॉट की दर तक कम कर दिया जाएगा, जब पूर्व वर्ष के ऊर्जा प्रभार में कमी की क्षतिपूर्ति कर ली गई हो ।

53.8 संबंधित भार प्रेषण केन्द्र हितग्राहियों से विचार–विमर्श कर जल–विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु घोषित की गई उपलब्ध समस्त ऊर्जा की अनुकूलतम उपयोगिता हेतु अनुसूचियों को अन्तिम रूप देगा जिसे समस्त हितग्राहियों को उत्पादक स्टेशन के तत्संबंधी आवंटन हेतु अनुसूचित किया जाएगा।

54. प्रोत्साहन (Incentive):

54.1 प्रोत्साहन वसूल की गई क्षमता प्रभार तथा परिवर्तनीय प्रभार का भाग होगा । इस हेतु कोई पृथक प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा।

55. अनुसूचीकरण (Scheduling):

55.1 किसी जल विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु अनुसूचीकरण बाबत् कार्यविधि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

56. मापयंत्रण पद्धति एवं लेखांकन (Metering and Accounting):

56.1 विनियम 46 के उपबंध जल–विद्युत स्टेशनों हेतु भी लागू होंगे ।

57. बिलिंग तथा भुगतान (Billing and Payment):

57.1 विनियम 47 के उपबंध जल–विद्युत स्टेशनों हेतु भी लागू होंगे ।

58. विद्युत शुल्क, उपकर तथा जल प्रभार (Electricity Duty, Cess and Water Charges):

58.1 यदि विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन के प्रयोजन हेतु, विद्युत शुल्क तथा उपकर एवं जल प्रभार भुगतान योग्य हों, तो इन्हें आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया जा सकेगा तथा इसका सत्यापन जल–विद्युत स्टेशनों हेतु वास्तविक भुगतान के आधार पर किया जाएगा।

अध्याय–पांच
विविध

59. अनुमोदित स्वच्छ विकास कार्यविधि (Clean Development Mechanism-CDM) को कार्बन आकलन (Carbon Credit) से प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न विधि द्वारा किया जाएगा, अर्थात्–

(अ) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की 100 प्रतिशत राशि परियोजना के विकासकर्ता द्वारा उत्पादक स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास रखी जाएगी ।

(ब) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी, जिसे कि 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के उपरान्त, प्राप्तियों की उत्पादक कम्पनी तथा हितग्राहियों द्वारा समान अनुपात में बंटवारा किया जाएगा ।

60. मानदण्डों से विचलन :

60.1 उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन अवधारित किया जा सकेगा :

(अ) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत, समतुल्य टैरिफ दर जिसकी गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित छूट (discounting) कारक पर आधारित मानदण्डों से विचलन के आधार पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु की गई हो, बशर्ते यह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई गणना से अधिक न हो ।

(ब) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु विद्युत उत्पादक कम्पनी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

61. कठिनाइयां दूर करने संबंधी शक्ति :

61.1. यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकता है जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

62. संशोधन हेतु शक्ति :

62.1 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

63. निरसन तथा व्यावृति :

63.1 विनियम नामतः ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 {आरजी–26(1) वर्ष 2009}'' जो राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 8.5. 2009 द्वारा संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

63.2 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

63.3 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

63.4 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के आधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव

परिशिष्ट–1

परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने संबंधी कालावधि
(देखें विनियम 22)

1. परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी कालावधि विद्युत उत्पादक कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित निवेश तिथि से इकाईयों अथवा इकाईयों के खण्ड की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के अनुसार मानी जाएगी।

2. समय–सीमा की अवधि माह में निम्न पैरा तथा तालिकाओं में दर्शाई गई है;

(अ) ताप विद्युत परियोजनाएँ– कोयला/लिग्नाईट पावर संयंत्र

इकाई का आकार 200/210/250/300/330 मेगावाट तथा 45 मेगावाट/125 मेगावाट सी.एफ.बी.सी. प्रौद्योगिकी

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 33 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 31 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

इकाई का आकार 250 मेगावाट सीएफबीसी प्रौद्योगिकी

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 36 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 34 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 4 माह के अंतराल से।

इकाई का आकार 500/600 मेगावाट

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 44 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 42 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

इकाई का आकार 660/800 मेगावाट

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं हेतु 52 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 50 माह। अनुवर्ती इकाईओं हेतु प्रति इकाई 6 माह के अंतराल से।

संयुक्त चक्र ऊर्जा संयंत्र

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावाट तक (आईएसओ रेटिंग)

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं के प्रथम खण्ड (Block) हेतु 26 माह। अनुवर्ती खण्डों हेतु 2 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 24 माह। अनुवर्ती खण्ड हेतु 2 माह के अंतराल से।

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावाट से अधिक (आईएसओ रेटिंग)

(क) ग्रीन–फील्ड परियोजनाओं के प्रथम खण्ड (Block) हेतु 30 माह। अनुवर्ती खण्डों हेतु 4 माह के अंतराल से।

(ख) विस्तार परियोजनाओं हेतु 28 माह। अनुवर्ती खण्ड हेतु 4 माह के अंतरालं

(ब) जल–विद्युत परियोजनाएं: जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अर्हताकारी समय–सीमा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जारी की गई मूल सम्मति के अनुरूप होगी।

परिशिष्ट–2

अवमूल्यन अनुसूची (Depreciation Schedule)

सरल क्रमांक	परिसंपत्ति का विवरण	अवमूल्यन दर (उपादेय (Salvage) मूल्य = 10%)सरल रेखा विधि (SLM) द्वारा
ए	संपूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.00%
बी	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
(ख)	स्थल की सफाई हेतु	3.34%
(ग)	जल–विद्युत परियोजना के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
सी	नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां	
(क)	उत्पादक स्टेशनों पर संयंत्र तथा मशीनरी	
(i)	जल–विद्युत	5.28%
(ii)	वाष्प विद्युत एनएचआरबी तथा वेस्ट हीट रिकवरी वाष्पयंत्र	5.28%
(iii)	डीजल, विद्युत तथा गैस संयंत्र	5.28%
(ख)	कूलिंग टावर तथा परिचालित जल प्रणालियां	5.28%
(ग)	द्रव चालित कार्य जो निम्न द्रवप्रणालियों के भाग हैं	
(i)	बांध, स्पिलबे,वीयर, नहरें, लौहयुक्त, कांक्रीट फ़्यूल तथा सायफन	5.28%
(ii)	लोहयुक्त कांक्रीट पाईपलाईनें तथा सर्ज टैंक, लौह पाईपलाईन, स्लूसगेट, इस्पातयुक्त सर्ज टैंक, द्रवचालित नियंत्रण वाल्व तथा द्रवचालित कार्य	5.28%
(घ)	भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय तथा शोरूम	3.34%
(ii)	ताप–ऊर्जा–विद्युत उत्पादक संयंत्र युक्त	3.34%
(iii)	जल–विद्युत उत्पादक संयंत्र से युक्त	3.34%
(iv)	अस्थाई निर्माण कार्य जैसे काष्ठ संरचनाएं	100%
(v)	कच्ची सड़कों के अतिरिक्त, अन्य सड़कें	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(ड.)	ट्रांसफार्मर गुमटियां, उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई यंत्र	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव सम्मिलित कर जिनकी क्षमता 100 केवीए से अधिक हो	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
(च)	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	5.28%
(छ)	तड़ित चालक	
(i)	स्टेशन प्रकार	5.28%
(ii)	पोल प्रकार	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेन्सर	5.28%
(ज)	बैटरियां	5.28%
(i)	भूमिगत केबल, संयुक्त बाक्स तथा विच्छेदित बाक्स सम्मिलित कर	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
(झ)	शिरोपरि तन्तुगथ, केबल टेका को सम्मिलित कर	
(i)	फेब्रिकेटेड स्टील पर तन्तुपथ, जो 66 केवी से अधिक की टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित है	5.28%

(ii)	इस्पात टेका पर तन्तुपथ जो 13.2 केवी से अधिक तथा 66 केवी से कम वोल्टेज पर प्रचलित है	5.28%
(iii)	लौहयुक्त कांक्रीट टेका अथवा इस्पात युक्त टेका पर तन्तुपथ	5.28%
(iv)	उपचारित काष्ठ टेका पर तन्तुपथ	5.28%
	लाइनें	
(ञ)	मापयंत्र (मीटर)	5.28%
(त)	स्वचालित वाहन	9.50%
(थ)	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	वहनीय	9.50%
द (i)	कार्यालयीन फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालयीन उपकरण	6.33%
(iii)	आंतरिक वायरिंग तथा फर्निशिंग	6.33%
(iv)	पथ–प्रकाश की फिटिंग्स	5.28%
(घ)	किराये पर प्रदाय किये गये यंत्र	
(i)	मोटरों को छोड़कर	9.50%
(ii)	मोटरें	6.33%
(न)	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च आवृत्ति संवाहक प्रणाली	6.33%
(ii)	दूरभाष लाइनें तथा दूरभाष	6.33%
(प)	संसूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	15.00%
(फ)	ऐसी समस्त परिसंपत्तियां जो उपरोक्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई हैं	5.28%